रजिस्ट्री सं० डी- 222 REGISTERED No. D-228

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 29] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 15, 1972 (आषाढ़ 24, 1894)
No. 29] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 15, 1972 (ASADHA 24, 1894)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नोटिस
(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 24 जनवरी 1972 तक प्रकाशित किये गये हैं —

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 24th January 1972 :—

अंक Issue No.	संख्या और तिथि No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
1	2	3	4

शून्य
—NIL—

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी । मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी-होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं ।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	737
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1101
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	987
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम (आदि समीलित हैं।)	1763
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	2643
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	405
भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	963
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	211
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	75
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं	1117
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें	137
पूरक संख्या 29—	
8 जुलाई, 1972 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट	1321
17 जून, 1972 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु सम्बन्धी आंकड़े	1333

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	737
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1101
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	987
PART II—SECTION 1.—Arts, Ordinances and Regulations	
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	
PART II—SECTION 3.—SUB.-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).	1763
PART II—SECTION 3.—SUB.SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	2643
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence	405
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	963
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta	211
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	75
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1117
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	137
SUPPLEMENT No. 29—	
Weekly Epidemiological Reports for week-ending 17th July, 1972	1321
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week end 17th June, 1972	1333

भाग I—खण्ड 1

(PART I—SECTION 1)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 जुलाई, 1972

सं० 88-प्रेज/72—राष्ट्रपति निम्नांकित व्यक्तियों को पाकिस्तान के विरुद्ध हाल की संक्रियाओं में वीरता के लिए "वीर चक्र" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

1. कैप्टेन रुस्तम खुसरो शापुरजी गांधी (एक्स), भारतीय नौसेना।

कैप्टेन रुस्तम खुसरो शापूरजी गांधी, दिसंबर, 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध संक्रियाओं के समय पश्चिमी बेड़े के फ्लैग कैप्टेन थे। शत्रु के हवाई हमलों और पनडुब्बी आक्रमणों के सतत भय के बावजूद, उन्होंने अपनी कमान के अधीन पश्चिमी बेड़े की यूनिटों को, अपने नेतृत्व में, कराची पर लगातार प्रहार की स्थिति बनाए रखने की प्रेरणा दी। इसी संक्रिया और कराची बंदरगाह पर इन यूनिटों द्वारा किए गए हमलों के परिणामस्वरूप कराची बंदरगाह में शत्रु के जहाजों के प्रवेश को रोक दिया गया। संक्रियाओं की सफलता के लिए इनके इस योगदान को कम नहीं आंका जा सकता है।

कैप्टेन रुस्तम खुसरो शापूरजी गांधी ने आद्योपान्त उच्चकोटि की वीरता, नेतृत्व और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. कैप्टेन मनोहर प्रह्लाद अवांती (एक्स), भारतीय नौसेना।

कैप्टेन मनोहर प्रह्लाद अवांती दिसंबर, 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध संक्रियाओं के समय पूर्वी बेड़े की भारतीय नौसैनिक यूनिट के कमान अफसर थे। संक्रियाओं के दौरान उन्हें शत्रु की जलसीमा में कार्यवाही करने को कहा गया जहां उनके पोत को शत्रु द्वारा बिछाई गई सुरंगों और उसकी पनडुब्बियों से लगातार खतरा बना हुआ था। उन्होंने, अविचलित, बंगलादेश में शत्रु द्वारा रक्षित बंदरगाहों की टोह ली और शत्रु को भारी क्षति पहुंचाई। घेरा-बन्दी के दौरान उन्होंने शत्रु के तीन पोतों पर आक्रमण किया और उन्हें पकड़ लिया जो वर्जित सामग्री ले जा रहे थे। उन्होंने एक पनडुब्बी का पता लगाया और उस पर शक्तिशाली आक्रमण किया जिसके परिणामस्वरूप पनडुब्बी को क्षति पहुंची अथवा वह नष्ट हो गई।

कैप्टेन मनोहर प्रह्लाद अवांती ने आद्योपान्त उच्च कोटि की वीरता, नेतृत्व और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

3. कैप्टेन पदावूपुराकल चांदे एंड्रूज (एक्स), भारतीय नौसेना।

दिसंबर, 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध संक्रियाओं के समय कैप्टेन पदावूपुराकल चांदे एंड्रूज, पश्चिमी बेड़े की एक भारतीय नौसैनिक यूनिट के कमान अफसर थे। पश्चिमी कमान द्वारा शत्रु के तटवर्ती क्षेत्र पर की गई सौर्टियों के दौरान कैप्टेन एंड्रूज नियोजित टुकड़ियों के प्रभारी थे। हवाई हमले व पनडुब्बियों के खतरों के बावजूद भी वे अपनी टुकड़ी को लक्ष्यों तक ले गए। लक्ष्य की ओर बढ़ते समय एक बार उनकी टुकड़ी शत्रु के गश्ती विमानों की नजर में पड़ गई और हवाई हमले की आशंका के बावजूद भी उन्होंने अपनी टुकड़ियों का नेतृत्व किया और उद्देश्य में सफलता प्राप्त की।

कैप्टेन पदावूपुराकल चांदे एंड्रूज ने आद्योपांत उच्चकोटि की वीरता, नेतृत्व और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

4. कार्यकारी कैप्टेन जगदीश चन्द्र पुरी (एक्स) डी० एस०, एम० भारतीय नौसेना।

कैप्टेन जगदीश चन्द्र पुरी, दिसंबर, 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध संक्रियाओं के समय पूर्वी बेड़े की एक भारतीय नौसैनिक यूनिट के कमान अफसर थे। संक्रियाओं के दौरान उन्हें शत्रु की जलसीमा में कार्यवाही करने को कहा गया जहां उनके पोत को शत्रु द्वारा बिछाई गई सुरंगों और उसकी पनडुब्बियों से लगातार खतरा बना हुआ था। उन्होंने अविचलित, बंगलादेश में शत्रु द्वारा रक्षित बंदरगाहों की टोह ली। इन सौर्टी में से एक के दौरान शत्रु की एक पनडुब्बी उनके पोत के पास देखी गई। कैप्टेन जगदीश चन्द्र पुरी ने तत्काल कार्रवाही की और अपनी जान की परवाह न करते हुए आक्रमण जारी रखा जिसके परिणामस्वरूप संभवतः पनडुब्बी को क्षति पहुंची अथवा वह नष्ट हो गई।

कैप्टेन जगदीश चन्द्र पुरी ने आद्योपान्त उच्च कोटि की वीरता, नेतृत्व और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

5. कमाण्डर सभलोक सुरेश कुमार (एक्स), भारतीय नौसेना।

कमाण्डर सभलोक सुरेश कुमार उस नौसैनिक यूनिट के कमान अफसर थे जिसने कराची पर किए गए दूसरे नौसैनिक आक्रमण में भाग लिया। 8/9 दिसंबर की रात को उन्हें कराची के मार्ग में शत्रु के एक गश्ती यान को नष्ट करने का दायित्व सौंपा गया। शत्रु की तटवर्ती तोपों की मार के अंदर होने और शत्रु के विमानों का खतरा होने के बावजूद भी कमाण्डर सभलोक सुरेश कुमार

ने अपने पोत से आक्रमण कर दिया और शत्रु के गश्ती यान को डुबो दिया। इस कार्य को पूरा करने के बाद वे पुनः अपनी टास्क फोर्स कमाण्डर से आ मिले और कराची के पास शत्रु के पोतों और आस्थानों पर आक्रमण किया।

कमाण्डर सभलोक कुमार ने आद्योपान्त उच्च कोटि की वीरता, नेतृत्व और कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

6. कमाण्डर सुबीर पाल (एक्स),
भारतीय नौसेना।

दिसंबर, 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध संक्रियाओं के समय कमाण्डर सुबीर पाल पूर्वी बेड़े की भारतीय नौसैनिक यूनिट के कमान अफसर थे। संक्रियाओं के दौरान उन्हें शत्रु की जलसीमा में कार्रवाही करने को कहा गया जहां उनके पोत को शत्रु द्वारा बिछाई गई सुरंगों और उसकी पनडुब्बियों से लगातार खतरा बना हुआ था। अविचलित उन्होंने, बंगलादेश में शत्रु द्वारा रक्षित बंदरगाहों की टोह ली और शत्रु को भारी क्षति पहुंचाई। उन्होंने अन्य सौंपे गए कार्यों को भी सफलतापूर्वक पूरा किया।

कमाण्डर सुबीर पाल ने आद्योपान्त उच्च कोटि की वीरता, नेतृत्व और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

7. कमाण्डर लक्ष्मीनारायण रामदास (एक्स), वी० एस० एम०,
भारतीय नौसेना।

कमाण्डर लक्ष्मीनारायण रामदास, दिसंबर, 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध संक्रियाओं के समय पूर्वी बेड़े की भारतीय नौसैनिक यूनिट के कमान अफसर थे। संक्रियाओं के दौरान उन्हें शत्रु की जलसीमा में कार्यवाही करने को कहा गया जहां उनके पोत को शत्रु की सुरंगों और पनडुब्बियों से लगातार खतरा बना हुआ था। अविचलित उन्होंने, बंगलादेश में शत्रु द्वारा रक्षित बंदरगाहों की टोह ली और शत्रु को भारी क्षति पहुंचाई। एक सौर्टी के दौरान उनके पोत के निकट एक पनडुब्बी देखी गई। उन्होंने बारंबार पनडुब्बी पर आक्रमण किया जिसके परिणामस्वरूप संभवतः उसे क्षति पहुंची अथवा वह नष्ट हो गई।

कमाण्डर लक्ष्मीनारायण रामदास ने आद्योपान्त उच्च कोटि की वीरता, नेतृत्व और कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

8. कमाण्डर राजिन्द्र सिंह ग्रेवाल (एक्स), एन० एम०, भारतीय नौसेना।

दिसंबर, 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध संक्रियाओं के दौरान कमाण्डर राजिन्द्र सिंह ग्रेवाल भारतीय नौसैनिक पोत विक्रांत से की गई सभी उड़ान-संक्रियाओं के प्रभारी कमाण्डर थे। बंगलादेश के पास हवाओं का रुख ऐसा था कि भारतीय नौसैनिक पोत विक्रांत पर से विमानों का उड़ान भरना बहुत ही कठिन हो गया था। इसके बावजूद भी कमाण्डर राजिन्द्र सिंह ग्रेवाल इस पोत से लड़ाकू/बम वर्षक और पनडुब्बी रोधी वायुयानों की उड़ानें भराते रहे। उन दो वायुयानों को, जिन्हें शत्रु की विमान-भेदी गोलाबारी से क्षति पहुंची थी, विशेषकर इन्होंने ही खोज निकाला जब कि खोज कार्य के समय हवाओं की स्थिति अत्यधिक कठिन थी।

कमाण्डर राजिन्दर सिंह ग्रेवाल ने आद्योपान्त उच्च कोटि की वीरता, नेतृत्व और व्यावसायिक कुशलता का परिचय दिया।

9. कमाण्डर कैलाश नाथ जादू (एक्स),
भारतीय नौसेना।

कमाण्डर कैलाश नाथ जादू, उस भारतीय नौसैनिक पोत के कमान अफसर थे, जिसने 4/5 दिसंबर की रात को कराची पर आक्रमण किया था। प्रत्यक्ष हवाई हमलों और शत्रु के भारी तटवर्ती तोपखानों की उपस्थिति में वे बराबर अपने पोत को शत्रु की सेनाओं के सामने बढ़ाते रहे। उनके वीरतापूर्ण और प्रेरणादाई नेतृत्व ने, नौसेना यूनिटों को पाकिस्तानी नौसेना पर सांघातिक प्रहार करने में समर्थ बनाया। उनकी इस कार्रवाही के परिणामस्वरूप, जिसे अन्य नौसैनिक यूनिटों का भी सहयोग मिला था, समुद्र पर शत्रु के बेड़े का बहुत बड़ा भाग एक ही संक्रिया में नष्ट हो गया।

इस संक्रिया में कमाण्डर कैलाश नाथ जादू ने उच्च कोटि की वीरता, नेतृत्व और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

10. कमाण्डर विजय सिंह शेखावत (एक्स),
भारतीय नौसेना।

कमाण्डर विजय सिंह शेखावत दिसंबर, 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध संक्रियाओं के दौरान भारतीय नौसेना की एक पनडुब्बी के कमान अफसर थे। बावजूद इस तथ्य के कि उनके पोत की गश्ती ड्यूटियां ऐसी थीं कि उन पर शत्रु की हवाई और थल सेनाओं की लगातार निगरानी थी, फिर भी, उन्होंने संकटपूर्ण गश्त जारी रखी और वे समुद्र में शत्रु के लिए गंभीर खतरा बने रहे। कराची के आसपास उनके द्वारा की गई खोजों से भारतीय नौसेना को अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलीं।

कमाण्डर विजय सिंह शेखावत ने, आद्योपान्त उच्च कोटि की वीरता, नेतृत्व और व्यावसायिक कौशल का परिचय दिया।

11. लेफ्टिनेन्ट कमाण्डर रवीन्द्र दास धीर (एक्स),
भारतीय नौसेना।

दिसंबर, 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध संक्रियाओं के दौरान लेफ्टिनेन्ट कमाण्डर रवीन्द्र दास धीर उस भारतीय नौसैनिक वायुयान के पायलट थे जिसने बंगलादेश में शत्रु द्वारा अधिग्रहीत बंदरगाहों पर हमले किए। 5 दिसंबर, 1971 की रात को एक बंदरगाह पर बमबारी के समय उनका वायुयान बंदरगाह में स्थित पोतों की विमान-भेदी तोपों की भारी गोलाबारी की लपेट में आ गया। अपने प्राणों की परवाह न करते हुए उन्होंने अपना आक्रमण सफलतापूर्वक पूरा किया और बंदरगाह के आस्थानों तथा पोतों को भारी क्षति पहुंचाई। आक्रमण में एक पोत डूब गया। इस उद्देश्य प्राप्ति के पश्चात् लौटते समय उन्होंने एक बंदरगाह में दो गन-बोटों को छद्मावरण में पहचान लिया और भारी विमान-भेदी गोलाबारी के बावजूद उन्होंने दो सफल आक्रमण किए जिनके फलस्वरूप एक नौका डूब गई और दूसरी को गतिहीन बना दिया गया।

लेफ्टिनेन्ट कमाण्डर रवीन्द्र दास धीर ने आद्योपान्त उच्च कोटि की वीरता, नेतृत्व और व्यावसायिक कौशल का परिचय दिया।

12. लेफ्टिनेन्ट कमाण्डर शंकर प्रसाद घोष (एक्स),
भारतीय नौसेना।

दिसंबर, 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध संक्रियाओं के दौरान लेफ्टिनेन्ट कमाण्डर शंकर प्रसाद घोष उस भारतीय नौसैनिक वायुयान के पायलट थे जिसने बंगलादेश में शत्रु द्वारा अधिग्रहीत

बन्दरगाहों पर हमले किए। बन्दरगाह में शत्रु के पोतों और तोपखाने द्वारा उनके विमान पर भारी विमान-भेदी गोलाबारी के बावजूद, वे शत्रु के तीन पोतों को डुबाने में सफल हुए। यह उनकी जागरूक हवाई गश्त और उनके वायुयान द्वारा शत्रु पोतों को परेशान किए रहने का ही परिणाम था कि इस संपूर्ण युद्ध में कोई भी पोत बंगलादेश के बंदरगाह से बाहर नहीं जा सका। 6 दिसंबर, 1971 को उन्होंने भारतीय नौसैनिक पोतों की शत्रु के पोतों को पकड़ने में मदद की।

लेफ्टिनेन्ट कमाण्डर शंकर प्रसाद घोष ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और व्यावसायिक कौशल का परिचय दिया।

13. लेफ्टिनेन्ट कमाण्डर सोउरीराजुलू रामसागर (एक्स), भारतीय नौसेना ।

दिसंबर, 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध संक्रियाओं के दौरान लेफ्टिनेन्ट कमाण्डर सोउरीराजुलू रामसागर उस भारतीय नौसैनिक वायुयान के पायलट थे जिसने बंगलादेश में शत्रु द्वारा अधिग्रहीत बंदरगाहों पर हमले किए। 5 दिसंबर, 1971 को उन्होंने पुसूर नदी में शत्रु की एक गन-बोट देखी और भारी विमान-भेदी गोलाबारी के बावजूद उसे नष्ट कर दिया। 11 दिसंबर, 1971 को एक आक्रमण के दौरान लेफ्टिनेन्ट कमाण्डर रामसागर ने तातुलिया नदी में शत्रु की एक गन-बोट और दो बजरों को नष्ट किया। विमान-भेदी तोपों की भारी गोलाबारी के बावजूद उन्होंने अपना आक्रमण जारी रखा और एक टग तथा दो बजरे नष्ट कर दिए।

लेफ्टिनेन्ट कमाण्डर सोउरीराजुलू रामसागर ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और व्यावसायिक कौशल का परिचय दिया।

14. लेफ्टिनेन्ट कमाण्डर विजय जेरथ (एक्स), भारतीय नौसेना ।

दिसंबर 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध संक्रियाओं के दौरान लेफ्टिनेन्ट कमाण्डर विजय जेरथ भारतीय नौसेना की एक यूनिट के कमान अफसर थे। 8/9 दिसंबर 1971 की रात को, वह अपने पोत को कराची की ओर ले गए और शत्रु के तटवर्ती तोपखाने की गोलाबारी तथा हवाई हमलों की संभावनाओं के बावजूद भी वे शत्रु के कम से कम दो जहाजों को डुबाने में समर्थ हुए। यह उस टास्क फोर्स के सदस्य थे जिसने शत्रु के चार पोत डुबोने के अतिरिक्त कराची के सैनिक ठिकानों पर भी आक्रमण किए।

इस कार्यवाही में, लेफ्टिनेन्ट कमाण्डर विजय जेरथ ने उच्चकोटि की वीरता, नेतृत्व और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

15. लेफ्टिनेन्ट कमाण्डर बहादुर नारीमन कांविना (एक्स), भारतीय नौसेना ।

लेफ्टिनेन्ट कमांडर बहादुर नारीमन कांविना उस भारतीय नौसैनिक पोत के कमान अफसर थे, जिसने 4/5 दिसंबर, 1971 की रात को कराची पर आक्रमण किया था। शत्रु के तटवर्ती तोपखानों और हवाई हमलों की संभावनाओं के बावजूद भी वे अपने पोत को बार-बार शत्रु सेनाओं की ओर बढ़ाते रहे। उनके प्रेरणादाई नेतृत्व ने नौसैनिक यूनिटों को पाकिस्तानी नौसेना पर सांघातिक प्रहार करने में समर्थ बनाया। उनकी इस कार्यवाही के परिणामस्वरूप, जिसे अन्य नौसैनिक यूनिटों का सहयोग प्राप्त हुआ था, समुद्र पर शत्रु के बेड़े का बहुत बड़ा भाग एक ही संक्रिया में नष्ट हो गया।

इस कार्यवाही में लेफ्टिनेन्ट कमांडर बहादुर नारीमन कांविना ने उच्चकोटि की वीरता, नेतृत्व और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

16. लेफ्टिनेन्ट कमाण्डर इन्द्रजीत शर्मा (एक्स), ए० वी० एस० एम०, भारतीय नौसेना ।

लेफ्टिनेन्ट कमाण्डर इन्द्रजीत शर्मा उस भारतीय नौसैनिक पोत के कमान अफसर थे जिसने 4/5 दिसंबर, 1971 की रात को कराची पर आक्रमण किया था। शत्रु के तटवर्ती तोपखानों और हवाई हमलों की संभावनाओं के बावजूद भी वे अपने पोत को बार-बार शत्रु सेनाओं की ओर बढ़ाते रहे। उनके प्रेरणादाई नेतृत्व ने नौसैनिक यूनिटों को, पाकिस्तानी नौसेना पर सांघातिक प्रहार करने में समर्थ बनाया। उनकी इस कार्यवाही के फलस्वरूप जिसमें अन्य नौसैनिक यूनिटों का सहयोग प्राप्त था, समुद्र पर शत्रु के बेड़े का बहुत बड़ा भाग एक ही संक्रिया में नष्ट हो गया।

इस कार्यवाही में लेफ्टिनेन्ट कमांडर इन्द्रजीत शर्मा ने उच्चकोटि की वीरता, नेतृत्व और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

17. लेफ्टिनेन्ट कमाण्डर ओम प्रकाश मेहता (एक्स), एन० एम०, भारतीय नौसेना ।

लेफ्टिनेन्ट कमाण्डर ओम प्रकाश मेहता उस भारतीय नौसैनिक पोत के कमान अफसर थे जिसने 4/5 दिसंबर, 1971 की रात्रि को कराची पर आक्रमण किया था। शत्रु के तटीय तोपखानों और हवाई हमलों की संभावनाओं के बावजूद भी वे बारंबार अपने पोत को शत्रु की सेनाओं की ओर बढ़ाते रहे। उनके प्रेरणादाई नेतृत्व ने नौसैनिक यूनिटों को पाकिस्तानी नौसेना पर सांघातिक प्रहार करने में समर्थ बनाया। उनकी इस कार्रवाही के परिणामस्वरूप जिसे अन्य नौसैनिक यूनिटों का सहयोग प्राप्त था, समुद्र पर शत्रु के बेड़े का बहुत बड़ा भाग एक ही संक्रिया में नष्ट हो गया।

इस कार्यवाही में लेफ्टिनेन्ट कमांडर ओम प्रकाश मेहता ने उच्चकोटि की वीरता, नेतृत्व और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

18. लेफ्टिनेन्ट कमाण्डर जार्ज मार्टिस (एक्स), एन० एम०, भारतीय नौसेना ।

दिसंबर, 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध संक्रियाओं के दौरान लेफ्टिनेन्ट कमाण्डर जार्ज मार्टिस एक नौसैनिक दल के नेता थे जिसने बंगलादेश में शत्रु द्वारा अधिग्रहीत क्षेत्रों के समुद्री किनारों के पास कार्रवाही की। भारतीय नौसैनिक टुकड़ियों को उपयोगी सूचनाएं भेजने तथा बंदरगाहों में शत्रु की गनबोटों और पोतों को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए उन्हें अपने यूनिट को शत्रु के अधीन इलाके के अंदर ले जाने का आदेश दिया गया था। वे अपनी टीम को शत्रु के बंदरगाहों में ले गए और नौसेना को महत्वपूर्ण सूचनाएं दीं। उन्होंने शत्रु के गनबोटों और पोतों को अत्याधिक क्षति पहुंचाई।

लेफ्टिनेन्ट कमाण्डर जार्ज मार्टिस ने आद्योपान्त उच्चकोटि की वीरता, नेतृत्व तथा कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

19. लेफ्टिनेन्ट कमाण्डर जयन्त कुमार राय चौधरी (एक्स), भारतीय नौसेना ।

दिसंबर 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध संक्रियाओं के दौरान लेफ्टिनेन्ट जयन्त कुमार राय चौधरी एक भारतीय नौसैनिक यूनिट के कमान अफसर थे। उन्हें बंगलादेश में उन बंदरगाहों पर हमला करने का काम सौंपा गया जो शत्रु के कब्जे में थे। शत्रु द्वारा तटीय क्षेत्रों की मजबूत किलेबन्दी और उसके हवाई जहाजों से खतरों के बावजूद उन्होंने कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा के साथ उद्देश्य पूरा किया और उनकी कार्यवाही से मंगला बंदरगाह का समस्त समुद्री यातायात छिन्न-भिन्न हो गया। अन्ततः उनकी कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप सारी पुसुर नदी शत्रु के हाथों से निकल गई। 10 दिसंबर, 1971 को लेफ्टिनेन्ट कमाण्डर जयन्त कुमार राय चौधरी उस टुकड़ी के सदस्य थे जिसने खुलना पर आक्रमण किया। यद्यपि उनके पोत पर शत्रु द्वारा हवाई और तटीय तोपखानों से भारी हमले किए गए तथापि उन्होंने अपना आक्रमण जारी रखा। अन्ततः जिसके परिणामस्वरूप खुलना बंदरगाह पर हमारा कब्जा हो गया। इस संक्रिया में लेफ्टिनेन्ट कमाण्डर जयन्त कुमार राय चौधरी शत्रु की गोलाबारी से घायल हो गए किन्तु उन्होंने शत्रु से समीप की लड़ाई में अपने नौसैनिकों का नेतृत्व किया।

लेफ्टिनेन्ट कमाण्डर जयन्त कुमार राय चौधरी ने आद्योपान्त उच्चकोटि की वीरता, नेतृत्व तथा कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

20. लेफ्टिनेन्ट कमाण्डर अशोक राय (एक्स), एन० एम० भारतीय नौसेना । (लापता)

दिसंबर, 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध संक्रियाओं के दौरान लेफ्टिनेन्ट कमाण्डर अशोक राय दो पनडुब्बी मारक और भारतीय नौसेना के टोही वायुयान की एक टुकड़ी की कमान कर रहे थे। 10 दिसंबर, 1971 को सूचना प्राप्त हुई कि शत्रु की थल सेना समुद्री रास्ते से एक बंदरगाह पर हमले का प्रयत्न कर रही है। आक्रमण होने से पूर्व इस सेना का पता लगाना अत्यावश्यक था। दो टोही वायुयानों में से एक को लेफ्टिनेन्ट कमाण्डर अशोक राय की कमान में शत्रु सेना का पता लगाने के लिए भेजा गया। इस खोज के दौरान लेफ्टिनेन्ट कमाण्डर राय के वायुयान को शत्रु के एक जेट विमान ने देख लिया। यद्यपि वे चाहते तो बच सकते मगर उन्होंने अपने उद्देश्य को पूरा करने का निश्चय किया। शीघ्र ही शत्रु का विमान पास आ पहुंचा और बाद में हुई लड़ाई में उनका वायुयान मार गिराया गया।

इस कार्यवाही में लेफ्टिनेन्ट कमांडर अशोक राय ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

21. लेफ्टिनेन्ट रमीन्द्र सिंह सोढी (एक्स), भारतीय नौसेना ।

दिसम्बर, 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध सांक्रियाओं के दौरान लेफ्टिनेन्ट रमीन्द्र सिंह सोढी भारतीय नौसैनिक वायुयान के पायलट थे, जिसने बंगलादेश में शत्रु द्वारा अधिगृहीत बंदरगाहों पर बारंबार हमले किए। उन्होंने चिट्टागांव, खुलना और मंगला बंदरगाहों पर आठ बार हमले किए जबकि वे पूर्णतः रक्षित थे। 6 दिसंबर 1971 को खुलना बंदरगाह पर हुए हमले में उन्होंने अपने सेक्शन का नेतृत्व किया था। यद्यपि उनका वायुयान शत्रु की गोलाबारी से क्षतिग्रस्त हो गया था तथापि उन्होंने हमले जारी रखे और अपने सेक्शन को आगे बढ़ाते रहे जब तक कि शत्रु का एक पोत और बंदरगाह स्थित तेल आस्थानों में आग न लगी। लेफ्टिनेन्ट रमीन्द्र सिंह सोढी 11 दिसंबर, 1971 को चिट्टागांव बंदरगाह पर हमले करने वाली टुकड़ी के एक सदस्य थे। शत्रु की विमान भेदी तोपों की गोलाबारी के बावजूद उन्होंने दो तेल टैंकों और किनारे पर स्थित संस्थानों को नष्ट कर दिया।

लेफ्टिनेन्ट रमीन्द्र सिंह सोढी ने आद्योपान्त उच्चकोटि की वीरता, नेतृत्व और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

22. लेफ्टिनेन्ट विपिनचन्द्र भास्कर भगवत (एक्स), भारतीय नौसेना।

दिसंबर, 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध संक्रियाओं के दौरान लेफ्टिनेन्ट विपिनचन्द्र भास्कर भगवत भारतीय नौसैनिक वायुयान के पायलट थे, जिसने बंगलादेश में शत्रु द्वारा अधिगृहीत बंदरगाहों पर बारंबार हमले किए। शत्रु के बंदरगाह पर स्थित तोपखाने और पोतों की विमान भेदी तोपों द्वारा उनके विमान पर भारी गोलाबारी करने के बावजूद भी उन्होंने शत्रु के तीन पोतों को डुबो दिया। यह उनके चौकसीपूर्ण हवाई गश्त और उनके वायुयान द्वारा शत्रु के पोतों को नुकसान पहुंचाने का ही परिणाम था कि बंगलादेश के बंदरगाहों से कोई भी पोत बाहर नहीं जा सका। 6 दिसंबर, 1971 को उन्होंने शत्रु के पोतों को पकड़ने में भारतीय नौसैनिक पोतों की सहायता की।

लेफ्टिनेन्ट विपिनचन्द्र भास्कर भगवत ने आद्योपान्त उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और व्यावसायिक कौशल का परिचय दिया।

23. लेफ्टिनेन्ट अरुण प्रकाश (एक्स), भारतीय नौसेना।

दिसंबर, 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध संक्रियाओं के दौरान लेफ्टिनेन्ट अरुण प्रकाश भारतीय वायुसेना में डेपुटेशन पर थे। 4 दिसंबर, 1971 को उन्होंने भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी का शत्रु के हवाई अड्डों पर हमले के दौरान नेतृत्व किया। इस हमले में उन्होंने शत्रु के भारी परिवहन साधनों को भूमि पर नष्ट किया और बेस पर वापस आ गए। 5 दिसंबर, 1971 को उन्होंने शत्रु सीमा के बहुत अंदर जाकर दिन में संक्रियात्मक प्रहार का नेतृत्व किया और वायु तथा थल सेनाओं द्वारा अत्याधिक रक्षित शत्रु के हवाई अड्डों पर आक्रमण किया। उन्होंने शत्रु के भारी यातायात वायुयानों को नष्ट कर दिया, उसकी सेनाओं और रसद स्टालों पर हमले किए और बेस पर वापस आ गए।

लेफ्टिनेन्ट अरुण प्रकाश ने आद्योपान्त उच्चकोटि की वीरता, नेतृत्व तथा कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

24. लेफ्टिनेन्ट विजय प्रकाश कपिल (एक्स), भारतीय नौसेना।

दिसंबर, 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध संक्रियाओं के दौरान, लेफ्टिनेन्ट विजय प्रकाश कपिल, पूर्वी बेड़े की नौसेना की यूनिट के सदस्य थे। 8/9 दिसंबर, 1971 के दौरान वह एक छोटी नौसैनिक यूनिट में थे जो उस फोर्स का एक भाग थी जिसने मंगला और

खुलना बंदरगाहों पर आक्रमण किए। हमले के दौरान उनके पोत पर भारी हवाई हमले किए गए और अस्थाई रूप से उसे त्यागना भी पड़ा। अपने जीवन को भारी खतरे में डालकर वे अपने व्यक्तियों को पोत से बाहर निकालने में सहायता करते रहे और घायलों को तट तक लाए। अपने साथियों को किनारे पर पहुंचाने के पश्चात् उन्होंने शत्रु की थल सेना पर हमला करके उन्हें शांत कर दिया।

लेफ्टिनेन्ट विजय प्रकाश कपिल ने आद्योपान्त उच्चकोटि की वीरता, नेतृत्व तथा कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

25. लेफ्टिनेन्ट केशर सिंह पंवार (एक्स),
भारतीय नौसेना।

दिसम्बर, 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध संक्रियाओं के दौरान लेफ्टिनेन्ट केशर सिंह पंवार भारतीय नौसैनिक वायुयान के पायलट थे जिसने बंगलादेश में शत्रु द्वारा अधिगृहीत बंदरगाहों पर बारंबार हमले किए। शत्रु की बंदरगाह स्थित तोपखाने और पोतों की विमान-भेदी तोपों द्वारा उनके विमान पर भारी गोलाबारी करने के बावजूद भी उन्होंने शत्रु के तीन पोतों को डुबो दिया। यह उनकी सतर्क हवाई गश्त और उनके वायुयान द्वारा शत्रु के पोतों को नुकसान पहुंचाने का ही परिणाम था कि बंगलादेश के बंदरगाहों से कोई भी पोत बाहर नहीं जा सका। 6 दिसंबर, 1971 को उन्होंने शत्रु के पोतों को पकड़ने में भारतीय नौसैनिक पोतों की सहायता की।

लेफ्टिनेन्ट केशर सिंह पंवार ने आद्योपान्त उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और व्यावसायिक कौशल का परिचय दिया।

26. लेफ्टिनेन्ट सुवेश कुमार मित्तर (एक्स),
भारतीय नौसेना।

दिसंबर, 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध संक्रियाओं के दौरान लेफ्टिनेन्ट सुवेश कुमार मित्तर नौसेना की एक यूनिट के कमान अफसर थे। उन्हें बंगलादेश के उन बंदरगाहों पर हमला करने का आदेश दिया गया जो शत्रु के कब्जे में थे। शत्रु के तटीय तोपखाने और हवाई हमलों की संभावनाओं के बावजूद उन्होंने पूर्ण लगन से अपने मिशन का नेतृत्व किया और अपनी कार्यवाही द्वारा मंगला बंदरगाह का संपूर्ण यातायात छिन्न-भिन्न कर दिया। उनके आक्रमणों के फलस्वरूप पुसुर नदी शत्रु के लिए बंद कर दी गई। 10 दिसबर, 1971 को वह उस टुकड़ी के सदस्य थे जिसने खुलना पर आक्रमण किया। यद्यपि इनके पोत पर शत्रु के तटीय तोपखाने व विमानों से भारी गोलाबारी की जा रही थी, फिर भी उन्होंने अपना आक्रमण जारी रखा। अन्ततः जिसके परिणामस्वरूप खुलना बंदरगाह पर हमारा अधिकार हो गया। शत्रु की गोलाबारी में घायल होने के बावजूद भी उन्होंने शत्रु सेनाओं के सम्मुख युद्ध में अपने जवानों का नेतृत्व किया।

लेफ्टिनेन्ट सुवेश कुमार मित्तर ने आद्योपान्त उच्चकोटि की वीरता, नेतृत्व और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

27. लेफ्टिनेन्ट वीरेन्द्र कुमार दत्ता (एक्स),
भारतीय नौसेना।

दिसंबर, 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध संक्रियाओं के दौरान लेफ्टिनेन्ट वीरेन्द्र कुमार दत्ता भारतीय नौसेना के एक वायुयान के पायलट थे, जिसने बंगलादेश में शत्रु द्वारा अधिगृहीत बंदरगाहों पर बारंबार हमले किए। उन्होंने शत्रु के सुरक्षित चिट्टागांव, खुलना और मंगला बंदरगाहों पर आठ बार हमले किए। 12 दिसंबर, 1971 को जब वे चिट्टागांव हवाई अड्डे पर बम वर्षा रहे थे तब उनके वायुयान का सामने का पारदर्शी शीशा शत्रु की विमान-भेदी तोपों की गोलाबारी से क्षति ग्रस्त हो गया। निर्भीकता पूर्वक, वे हमला करते रहे और अपने शस्त्रों से भली प्रकार निशाना लगाते रहे। चिट्टागांव के हवाई अड्डे पर आक्रमण करने के पश्चात् उन्होंने उस तोपखाने के स्थानों पर हमला करके उसे बर्बाद कर दिया।

लेफ्टिनेन्ट वीरेन्द्र कुमार दत्ता ने आद्योपान्त उच्चकोटि की वीरता, व्यावसायिक कौशल तथा कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

28. लेफ्टिनेन्ट प्रेमकुमार (एक्स),
भारतीय नौसेना।

दिसंबर, 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध संक्रियाओं के दौरान लेफ्टिनेन्ट प्रेम कुमार भारतीय नौसेना के एक वायुयान के पायलट थे; जिसने बंगलादेश में शत्रु द्वारा अधिग्रहीत बंदरगाहों पर बारंबार हमले किए। उन्होंने शत्रु के अति रक्षित चिट्टागांव मंगला और खुलना बंदरगाहों पर आठ बार हमले किए। 12 दिसंबर, 1971 को जब वे बंदरगाहों में स्थित पोतों पर बम वर्षा कर रहे थे तो उनके वायुयान का सामने का पारदर्शी शीशा शत्रु की गोलाबारी से क्षति-ग्रस्त हो गया। निर्भीक, वे लगातार हमला करते रहे और अपने शस्त्रों द्वारा अचूक निशाने लगाते रहे। बंदरगाहों में स्थित पोतों पर बमबारी करने के पश्चात् उन्होंने उस तोपखाने के स्थान पर हमला करके उसे नष्ट कर दिया।

लेफ्टिनेन्ट प्रेम कुमार ने आद्योपान्त उच्चकोटि की वीरता, व्यावसायिक कौशल और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

29. सब-लेफ्टिनेन्ट अशोक कुमार (एक्स),
भारतीय नौसेना।

दिसंबर, 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध संक्रियाओं के दौरान सब-लेफ्टिनेन्ट अशोक कुमार पूर्वी बेड़े की एक भारतीय नौसैनिक यूनिट के सदस्य थे। 10 दिसंबर, 1971 को भारतीय नौसैनिक पोतों द्वारा किए गए हमलों के समय सब-लेफ्टिनेन्ट अशोक कुमार शत्रु के तटीय तोपखाने की भारी गोलाबारी की मार में आ गए, यद्यपि वे शत्रु की कार्यवाही से घायल हो गए, और शत्रु से घिर गए, फिर भी वे अपने जवानों का युद्ध में नेतृत्व करते रहे और अपनी जान की परवाह न कर के शत्रु की एक यूनिट पर अधिकार कर लिया। समीप की लड़ाई में जिसके परिणामस्वरूप खुलना का पतन हुआ, घायल होने के बावजूद भी उन्होंने अपने जवानों का एक सफल हमले में नेतृत्व किया।

इस संक्रिया में सब-लेफ्टिनेन्ट अशोक कुमार ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और नेतृत्व का परिचय दिया।

के० ना० कृष्णमणि, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 7 जुलाई 1972

सं० 89-प्रेज०/72—राष्ट्रपति निम्नांकित व्यक्तियों को उनकी असाधारण विशिष्ट सेवाओं के उपलक्ष में "अति विशिष्ट सेवा मेडल" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

ब्रिगेडियर गजेन्द्र सिंह रावत (आई० सी०-2281), गोरखा राइफल्स ।

ब्रिगेडियर उज्जल कुमार गुप्ता (आई० सी०-1518), पैरा ।

ब्रिगेडियर जीवन चन्द्र जोशी (आई सी०-4186), पैरा ।

ब्रिगेडियर नर्मल आर्थर सालिक (आई० सी०-3929), वीर चक्र, कुमायूं ।

ब्रिगेडियर मधुकर भोलानाथ वाडके (आई० सी०-4993), मराठा लाइट इन्फैन्ट्री ।

ब्रिगेडियर जसवन्त सिंह भुल्लर (आई० सी०-2537), वी० एस० एम०, पंजाब रेजिमेंट ।

ब्रिगेडियर काणीनाथ गनेश पित्तरे (आई० सी०-1165), पैरा ।

ब्रिगेडियर जगदेव सिंह (आई० सी०-4207), इंजीनियर्स ।

ब्रिगेडियर पदमाकर विश्वनाथ बोले (टी० ए०-40165) ।

ब्रिगेडियर गुरदयाल सिंह सिंधू (आई० सी०-845), सिगनल्स ।

ब्रिगेडियर हीरियागालूर रामास्वामी अयंगर गोपाल (आई० सी०-4201), इंजीनियर्स ।

कर्नल महादेव अनन्त गोखले (एम० आर०-415), आर्मी मैडिकल कोर ।

कर्नल सुरेश कुमार कोछर (एम० आर०-346), आर्मी मैडिकल कोर ।

कर्नल सत्य व्रत कुण्डु (एम० आर०-699), आर्मी मैडिकल कोर ।

कर्नल (कुमारी) डोरीन पीटरी सी हार्ट (एन० आर०-17127), मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ।

कैप्टन प्रसन्त कुमार सिन्हा, भारतीय नौसेना ।

कैप्टन दलजीत सिंह पेंटल, भारतीय नौसेना ।

एक्टिंग कैप्टन जेम्स जोसेफ रोलंड मार्टिन, वी० एस० एम०, भारतीय नौसेना ।

सं० 90-प्रेज०/72—राष्ट्रपति पश्चिम बंगाल पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री कार्तिक चन्द्र मण्डल,
कांस्टेबल सं० 1472,
जिला सशस्त्र पुलिस, नदिया,
पश्चिम बंगाल ।

सेवाओं का विवरण जिन के लिए पदक प्रदान किया गया

24 सितम्बर, 1971 को कृष्ण नगर, नदिया में 15 विचारणाधीन उग्रवादी कैदियों को न्यायालय की हवालात में लाया गया । लगभग 12 बजकर 40 मिनट तक कुछ उग्रवादी दर्शकों के रूप में न्यायालय की हवालात के सामने एकत्रित हो चुके थे । जब विचारणाधीन बन्दियों के प्रभारी अधिकारी, सहायक उप निरीक्षक ने हवालात का दरवाजा खोला और उन बन्दियों में से एक को शौचालय ले जाने लगे तो बाहर खड़े हुए उग्रवादियों में से कुछ ने न्यायालय के अहाते से उन पर गोली चलाई जिसके परिणामस्वरूप वह घायल हो गये और विचारणाधीन बन्दियों ने भाग निकलने की कोशिश की । श्री कार्तिक चन्द्र मण्डल ने जो पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के निकट संरक्षण ड्यूटी पर थे खतरे की चेतावनी सुनी और वे बाहर को लपके । श्री कार्तिक चन्द्र मण्डल ने भागते हुए उग्रवादियों का पीछा किया और तीन उग्रवादियों, जिनमें से एक रिवाल्वर से लैस था, के एक दल के निकट पहुंच गये । इस उग्रवादी ने एक ट्रक के पीछे से श्री मण्डल पर गोली चलाई । अपनी निजी सुरक्षा की परवाह न करते हुए श्री मण्डल तुरन्त उग्रवादी की ओर झपटे और उस पर शीघ्र दो गोलियां चलाईं । पहली गोली उग्रवादी के हाथ पर लगी जिससे उसका रिवाल्वर गिर गया । दूसरी गोली उग्रवादी के पेट में लगी जिसके परिणामस्वरूप वह गिर गया और बाद में घावों के कारण उसकी मृत्यु हो गई ।

सशस्त्र उग्रवादियों से मुठभेड़ में श्री कार्तिक चन्द्र मण्डल ने अपनी जान पर भारी जोखिम उठाते हुए अनुकरणीय साहस और कर्त्तव्य-निष्ठा का परिचय दिया ।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 24 सितम्बर, 1971 से दिया जाएगा ।

सं० 91-प्रेज/72—राष्ट्रपति मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री नत्थू सिंह,
सर्कल इंस्पैक्टर आफ पुलिस,
बिजैपुर, जिला मुरैना,
मध्य प्रदेश ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

28 जुलाई, 1971 को बिजैपुर के पुलिस के सर्कल इंस्पैक्टर श्री नत्थु सिंह को सूचना मिली कि बिजैपुर पुलिस थाना के सथेया-का-पुरा गांव के समीप हरीसिंह के नेतृत्व में डाकुओं के एक गिरोह के कुछ व्यक्ति उपस्थित हैं । वर्षा ऋतु तथा कुंवारी नदी में अभूतपूर्व बाढ़ आने के कारण बिजैपुर पुलिस थाना अलग-थलग पड़ गया था । श्री नत्थू सिंह ने विशेष सशस्त्र दल के सहायक कमांडेंट को डाकुओं की उपस्थिति के बारे में सूचना दी । बिजैपुर में उपलब्ध दल की सहायता से छापा मारने की व्यवस्था की गई । पुलिस दल को तीन टुकड़ियों में बांटा गया, जिनमें से एक का नेतृत्व श्री नत्थू सिंह ने किया । जबकि दो टुकड़ियां उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्व से डाकुओं की तरफ बढ़ी, श्री नत्थू सिंह के नेतृत्व वाली टुकड़ी दक्षिण की ओर से बढ़ी । बाजरे के खेतों में शरण लिए हुए डाकुओं ने श्री नत्थू सिंह वाली टुकड़ी पर गोली चलाना शुरू कर दिया । पुलिस टुकड़ी ने उत्तर में गोली चलाई ।

इसी बीच भारी वर्षा होने लगी और डाकुओं को बचकर भागने का अवसर मिला। ठीक उसी समय श्री नत्थु सिंह ने डाकुओं के सरदार हरीसिंह को .303 की राईफल लिए हुए देखा। जबकि दोनों ओर से गोली बारी हो रही थी, श्री नत्थु सिंह संभावित खतरे को समझते हुए भी चुपके से रेंगकर डाकू हरीसिंह के बिल्कुल निकट पहुंच गये और वहां से उस पर गोली चलाई और उसे मार डाला। डाकू हरीसिंह को पकड़ने के लिए 2,000 रुपये का इनाम रखा हुआ था।

इस मुठभेड़ में श्री नत्थू सिंह ने एक खतरनाक डाकू को समाप्त करने में उत्कृष्ट वीरता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 28 जुलाई, 1971 से दिया जाएगा।

सु० नीलकण्टन, राष्ट्रपति के उप-सचिव

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 29 मई 1972

सं० 1/1/72 आर० सी० सी०—श्री हर्षदेव मालवीय, राज्य सभा सदस्य, को, रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर पर तथा सामान्य वित्त के मुकाबले रेल वित्त से संबंधित अन्य आनुषंगिक मामलों पर पुनर्विचार करने वाली संसदीय समिति में, श्री महितोष पुरकायस्थ द्वारा राज्य सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये नामनिर्दिष्ट किया गया है।

गौतम देव शर्मा, अवर सचिव

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 जून 1972

संकल्प

सं० एफ० 1-8/71-हिंदी—शिक्षा मंत्रालय के संकल्प संख्या एफ० 1-12/65-हिंदी 1, दिनांक 4 नवम्बर 1965 को जिसे इसी मंत्रालय के संकल्प संख्या एफ० 1-2/67-हिंदी 1 दिनांक 28 मई 1968 तथा संख्या 1-1/69-हिंदी 1 दिनांक 27 फरवरी 1969 और शिक्षा और युवा सेवा मंत्रालय के संकल्प सं० 1-8/69-हिंदी 1, दिनांक 11 सितम्बर 1969 द्वारा संशोधित किया गया था, को रद्द करते हुए यह निश्चय किया जाता है कि 1 जनवरी 1972 से हिंदी शिक्षा समिति का गठन तथा कार्य निम्नप्रकार से होंगे :—

गठन

1. शिक्षा समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री	अध्यक्ष
2. राज्य मंत्री (शिक्षा विभाग)	प्रथम उपाध्यक्ष
3. उपमंत्री शिक्षा विभाग (हिंदी के प्रभारी)	द्वितीय उपाध्यक्ष
4. संसद के प्रतिनिधि	
(क) अध्यक्ष लोक सभा द्वारा नामित चार सदस्य	सदस्य
(1) श्री अरविंद नेतम	
(2) श्री जगन्नाथ मिश्र	
(3) श्री एस० टी० पंडित	
(4) श्री अटल बिहारी वाजपेयी	
(ख) अध्यक्ष राज्य सभा द्वारा नामित सदस्य	सदस्य
(1) श्री नवल किशोर	
(2) श्री मान सिंह वर्मा	
5 सचिव शिक्षा विभाग	सदस्य
6 शिक्षा विभाग में हिंदी के कार्यभारी संयुक्त सचिव/संयुक्त शिक्षा सलाहकार	सदस्य
7 प्रत्येक अहिंदी भाषी राज्य का एक-एक प्रतिनिधि	सदस्य
8 निम्नलिखित स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं का एक-एक प्रतिनिधि	सदस्य
(1) दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास	
(2) नागरी प्रचारिणी सभा—वाराणसी	
(3) गुजरात प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति अहमदाबाद	
(4) असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति	
(5) अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ, नई दिल्ली	सदस्य
9 तीन प्रमुख हिंदी विद्वान	
(1) डा० नामवर सिंह अध्यक्ष हिंदी विभाग जोधपुर विश्वविद्यालय	
(2) डा० प्रेम स्वरूप गुप्ता प्रोफेसर—हिंदी वल्लभ विद्यानगर गुजरात विश्वविद्यालय	
(3) डा० एम० मलिक मुहम्मद अध्यक्ष हिंदी विभाग कालीकट विश्वविद्यालय	
10 दो प्रमुख भाषा विज्ञानी	
(1) डा० जे० डी० सिंह प्रोफेसर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय	सदस्य
(2) डा० आर० एन० श्रीवास्तव रीडर भाषा विज्ञान विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय	सदस्य
11 शिक्षा विभाग में हिंदी के कार्यभारी उप सचिव/उप-शिक्षा सलाहकार	सदस्य/सचिव

विशेष रूप से आमंत्रित

(1) भारत सरकार के हिंदी सलाहकार
(2) अध्यक्ष—वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली
(3) निदेशक—केंद्रीय हिंदी निदेशालय
(4) निदेशक भारतीय भाषा संस्थान मैसूर
(5) निदेशक केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में प्रथम उपाध्यक्ष समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। अध्यक्ष और प्रथम उपाध्यक्ष दोनों के अनुपस्थित होने की दशा में द्वितीय उपाध्यक्ष समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।

2 **कार्यकाल**

समिति के सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः 3 वर्ष होगा और यह अवधि 1 जनवरी 1972 से गिनी जायेगी किंतु :—

1 धारा (4) के अन्तर्गत नामित सदस्य संसद का सदस्य न रहने पर समिति का सदस्य नहीं रहेगा।

2 समिति के पदेन सदस्य तब तक सदस्य बने रहेंगे जब तक कि वे उस पद पर कार्य करते रहें जिस के आधार पर उन्हें समिति की सदस्यता दी गई है।

3 अन्य मनोनीत सदस्य भारत सरकार की इच्छा अनुसार ही अपने अपने पदों पर कार्य करेंगे।

4 यदि किसी सदस्य के त्याग पत्र, मृत्यु आदि के कारण समिति में कोई स्थान रिक्त होता है तो उस स्थान पर नियुक्त किया गया सदस्य 3 वर्ष की शेष अवधि कार्य करता रहेगा।

3 **कोरम** (गणपूर्ति)

समिति की बैठकों के लिये कोरम समिति के कुल सदस्यों का एक तिहाई होगा।

4 **कार्य**

समिति देश में हिंदी प्रचार और विकास के नीति संबंधी मामलों पर भारत सरकार को परामर्श देगी।

5 **कार्यकारिणी उपसमिति**

अपने कार्य को प्रभावपूर्ण रूप से चलाने के लिये समिति एक कार्यकारिणी उप समिति नियुक्त कर सकती है। साधारणतः इस उपसमिति में 15 सदस्य होंगे जो कि अध्यक्ष द्वारा नामित किये जायेंगे। समिति के प्रथम उपाध्यक्ष और उनकी अनुपस्थिति में द्वितीय उपाध्यक्ष उप समिति के अध्यक्ष होंगे। उपसमिति के अध्यक्ष को उप समिति के सदस्यों में से अथवा बाहर से ऐसे व्यक्तियों को सहयोजित करने का अधिकार होगा जिन्हें देश में हिंदी प्रचार और विकास की समस्याओं के संबंध में विशेष जानकारी और अनुभव प्राप्त होंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी अहिंदी भाषी राज्यों, प्रधान मंत्री सचिवालय, संसद कार्य विभाग, लोक सभा एवं राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेज दी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प भारत सरकार के राजपत्र में सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाये।

सनत्कुमार चतुर्वेदी, उप-सचिव

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 23 जून 1972

संकल्प

सं० 13/2/71 आर० यू०—दिनांक 31 अगस्त, 1971 के आंशिक आशोधन में भारत सरकार उड़ीसा राज्य वन उत्पाद विपणन सहकारी समिति लिमिटेड के पदेन अध्यक्ष के स्थान पर प्रबंध निदेशक, उड़ीसा राज्य आदिम जाति विकास सहकारी समिति लिमिटेड, को अपेक्स आदिम जाति सहकारी संगठनों की समन्वय समिति के एक सदस्य के रूप में एतद्द्वारा नामित करती है।

भारत सरकार श्री जयनारायण रोअत, मंत्री, वन श्रमिक सहकारी सब लिमिटेड तोपखाने का रास्ता, चांदपोल दरवाजा, जयपुर को भी इस संकल्प की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिये अपेक्स आदिम जाति सहकारी संगठनों की समन्वय समिति का सदस्य नामित करती है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि उक्त संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

पी० पी० आई० वैद्यनाथन अपर सचिव

नई दिल्ली-1, दिनांक 27 जून 1972

संकल्प

सं० एफ० 1-46/69-एस० डब्लु०-3—समाज कल्याण विभाग के संकल्प संख्या एफ० 1-46/69-एस० डब्लु० 3 दिनांक 28 मार्च, 1972, जिसके द्वारा केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड (कंपनी) के कार्यालय, अर्थात बोर्ड के अध्यक्ष, साधारण निकाय के सदस्यों, तथा कार्यकारी समिति के सदस्यों का कार्यकाल 30 जून, 1972 तक तथा समेत बढ़ा दिया गया था, के अनुक्रम में भारत सरकार सहर्ष यह निर्णय करती है कि कंपनी के एसोसियेशन के अनुच्छेदों के अनुच्छेद 7 के उपबंधों के अधीन बोर्ड के कार्यालय, अर्थात बोर्ड के अध्यक्ष, साधारण निकाय के सदस्यों तथा कार्यकारी समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 जुलाई, 1972 से 30 सितम्बर, 1972 तक तथा समेत 3 महीनों की और अवधि के लिये बढ़ा दिया जाये।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपियां निम्नलिखित को प्रेषित की जायें :—

1. केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सब सदस्य।
2. सब राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र।
3. भारत सरकार के सब मंत्रालय/विभाग।
4. राष्ट्रपति सचिवालय।
5. मंत्री मंडल सचिवालय।
6. योजना आयोग।
7. लोकसभा/राज्य सभा/प्रधान मंत्री सचिवालय।
8. पत्र सूचना कार्यालय।
9. महालेखापाल, केंद्रीय राजस्व, नई दिल्ली।
10. कंपनी कार्य विभाग।

11. कंपनियों के रजिस्ट्रार, नई दिल्ली ।

12. क्षेत्रीय निदेशक, कंपनी कानून बोर्ड, कानपुर ।

13. सचिव, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली ।

14. राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्डों के सब अध्यक्ष ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को साधारण जानकारी के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

जे० पी० सक्सेना, अवर सचिव

नई दिल्ली-1 दिनांक 23 जून 1972

सं० 13/11/72-एस० डब्लू-5—इस विभाग के संकल्प संख्या 15/2/67-एस० डब्लू०-5 दिनांक 22 दिसम्बर, 1969 के, जिसे समय संख्या के शुद्धिपत्र दिनांक 7 अप्रैल, 1971 के द्वारा संशोधित किया गया था, अनुक्रम में 1 अप्रैल 1972 से दो वर्षों की अवधि के के लिये सुधार सेवाओं संबंधी केंद्रीय सलाहकार बोर्ड को पुनर्गठित करने का निर्णय किया गया है । पुनर्गठित बोर्ड की रचना इस प्रकार होगी :—

1. श्री के० एम० रामास्वामी, अध्यक्ष
शिक्षा और समाज कल्याण उपमंत्री,
भारत सरकार, नई दिल्ली ।

2. श्री पी० वी० आई० वैद्यनाथन, सदस्य
अपर सचिव, समाज कल्याण विभाग,
भारत सरकार
नई दिल्ली ।

3. उप सचिव (जेल कार्य से संबद्ध) सदस्य
गृह मंत्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली ।

4. निदेशक, सदस्य
पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो,
गृह मंत्रालय,
नई दिल्ली ।

5. श्री ए० के० श्रीनिवासमूर्ति, सदस्य
उप विधायी परामर्श दाता,
विधि मंत्रालय,
नई दिल्ली ।

6. श्री जे० जे० पानाकल, सदस्य
अपराध विज्ञान तथा सुधार प्रशासन,
विभाग के प्रधान,
टाटा इंस्टीट्यूट आफ सोशल साइंसिस,
बम्बई ।

7. श्री सुशील चन्द्र, सदस्य
निदेशक, समाज शास्त्र तथा मानव संबंधी
श्री जे० के० संस्थान,
लखनऊ विश्वविद्यालय, उ० प्र० ।

8. प्रोफेसर (डा०) सीता बसु, सदस्य
सुधार सेवाओं तथा सामाजिक कार्य में
ज्येष्ठ लेक्चरार,
स्कूल आफ सोशल वर्क,
3, यूनिवर्सिटी रोड, नई दिल्ली-7 ।

9. जेलों के महानिरीक्षक, सदस्य
पश्चिमी बंगाल,
कलकत्ता ।

10. जेलों के महानिरीक्षक, सदस्य
तामिलनाडु,
मद्रास ।

11. जेलों के महानिरीक्षक, सदस्य
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ ।

12. जेलों के महानिरीक्षक, सदस्य
पंजाब,
चंडीगढ़ ।

13. जेलों के महानिरीक्षक, सदस्य
केरल, त्रिवेंद्रम ।

14. समाज कल्याण निदेशक, सदस्य
महाराष्ट्र, पूना ।

15. समाज कल्याण निदेशक, सदस्य
गुजरात, अहमदाबाद ।

16. समाज कल्याण निदेशक, सदस्य
मध्य प्रदेश, भोपाल ।

17. निदेशक, सुधार सेवाओं का केंद्रीय ब्यूरो, सदस्य-सचिव ।
समाज कल्याण विभाग,
भारत सरकार, नई दिल्ली ।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि बोर्ड के सभी सदस्यों, भारत सरकार के सभी वे मंत्रालयों योजना आयोग, मंत्रीमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, संसद कार्य विभाग, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के सभी मुख्य सचिवों को प्रेषित की जायें ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को साधारण सूचना के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय ।

एस० सत्यम, उप सचिव

नौवहन एवं परिवहन मन्त्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, दिनांक 26 जून 1972

धर्माथ स्थायी निधि अधिनियम, 1890 के संबंध में

तथा

व्यापारी नाविक सुविधा निधि के संबंध में

धर्माथ निधि अधिनियम 1890 (1890 का 6) की धारा 10 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार ने एतद्वारा भारत के धर्माथ निधि के कोषाध्यक्ष से व्यापारी नाविक सुविधा निधि की सभी परिसंपत्तियों के अधिकार वापस ले लिये हैं, जिनका उल्लेख संलग्न अनुसूची में किया गया है और जो कि उन्हें भारत सरकार के भूतपूर्व परिवहन तथा संचार मंत्रालय के परिवहन विभाग (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना संख्या 6-एम० टी० (14)/57 दिनांक 13 सितम्बर, 1957 द्वारा प्रदान किये गए थे।

	रुपये
1. 3% रूपांतरण ऋण	1,49,100/-
2. 4½% ऋण 1986	4,50,000/-
3. 6 वर्षों के लिये प्रतिवर्ष 7¼% दर पर तमिल नाडु औद्योगिक निवेश निगम में सावधि निक्षेप	2,38,500/-
4. 7¼% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर 6 वर्ष के लिये तमिल नाडु औद्योगिक निवेश निगम लिमिटेड मद्रास में सावधि निक्षेप निवेश	24,700/-
5. 4% दस वर्षीय कोष बचत जमा पत्र (10,000/- रुपये तथा 15,300/- रुपये)	25,300/-
	8,87,600/-

जे० के० भट्टाचार्य, उप-सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

नई दिल्ली-1, दिनांक 23 जून 1972

सं० 1/16/72-एफ० एफ० सी०—एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संकल्प सं० 7/51/69-एफ० आई० (एन० ए०) तारीख 7 मई, 1971 में प्रकाशित फिल्मों के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार नियमावली के नियम 23 के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार ने फिल्मों के लिये राष्ट्रीय पुरस्कारों की केंद्रीय समिति तथा प्रादेशिक समितियां—1971 द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित फिल्मों/निर्माताओं/निर्देशकों/कलाकारों/तकनीशियनों को पुरस्कार देने का निर्णय किया है, अर्थात् :—

क्रम संख्या	फिल्म का नाम और भाषा	पुरस्कार विजेता का नाम	पुरस्कार
1	2	3	4
	1. अखिल भारतीय पुरस्कार		
	फीचर फिल्में		
1.	राष्ट्रीय सर्वोत्तम फीचर फिल्म पुरस्कार "सीमाबद्ध" (बंगला)	निर्माता श्री भरत शमशेर जंग बहादुर राणा, 32, गणेश चन्द्र एवेन्यु, कलकत्ता-13, निर्देशक श्री सत्य जीत रे, 1/1 बिशप लैफाय रोड, कलकत्ता-20.	राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक तथा 40,000 रुपये (चालीस हजार रुपये) का नकद पुरस्कार। 10,000 रुपये (दस हजार रुपये) का नकद पुरस्कार तथा एक प्रशस्ति चिन्ह।
2.	द्वितीय सर्वोत्तम फीचर फिल्म के लिये विशेष पुरस्कार "अनुभव", (हिंदी)	निर्माता तथा निर्देशक श्री बासु भट्टाचार्य, 5 के० पी०मेंसन, 29वीं रोड, बांद्रा, बम्बई-50.	15,000 रुपये (पन्द्रह हजार रुपये) का नकद पुरस्कार तथा एक पदक।

1	2	3	4
3.	राष्ट्रीय एकता पर सर्वोत्तम फीचर फिल्म के लिये विशेष पुरस्कार "दो बूंद पानी" (हिंदी)	निर्माता तथा निर्देशक श्री ख्वाजा अहमद अब्बास, नया संसार, बी 35, नार्थ बंबई हाउसिंग सोसायटी, चर्च रोड, जुहू, बम्बई-54,	30,000 (तीस हजार रुपये) का नकद पुरस्कार तथा एक पदक ।
4.	निर्देशन में उत्कृष्टता का पुरस्कार "वंश वृक्ष" (कन्नड़)	निर्देशक (1) श्री बी० वी० कारंत, बी०-11, साउथ एक्सटेंशन, नई दिल्ली-49. (2) श्री गिरीश करनाड, 38, सारस्वत पुरा, धारवाड़. ।	5,000 रुपये (पांच हजार रुपये का नकद पुरस्कार तथा एक प्रशस्ति चिन्ह ।
5.	सिनेमाटोग्राफी (ब्लेक एंड व्हाईट) में उत्कृष्टता का पुरस्कार "अनुभव" (हिंदी)	कैमरा मैन श्री नन्दो भट्टाचार्य, द्वारा श्री बासुभट्टाचार्य, 5 के० पी० मेंसन, 29वीं रोड, बांद्रा, बंबई-50.	5,000 रुपये (पांच हजार रुपये) का नकद पुरस्कार तथा एक प्रशस्ति चिन्ह ।
6.	सिनेमाटोग्राफी 'रंगीन' में उत्कृष्टता का पुरस्कार "रेशमा और शेरा" (हिंदी)	कैमरा मैन श्री राम चन्द्र, दिल बहादुर गैस्ट हाउस, दादर मैन रोड, बम्बई-14.	5,000 रुपये (पांच हजार रुपये) का नकद पुरस्कार तथा एक प्रशस्ति चिन्ह ।
7.	वर्ष का सर्वोत्तम स्क्रीन प्ले पुरस्कार "एखिन" (बंगला)	स्क्रीन प्ले लेखक श्री तपन सिंहा, ब्लाक 'ओ', 674 न्यु अलीपुर, कलकत्ता.	5,000 रुपये (पांच हजार रुपये) का नकद पुरस्कार तथा एक प्रशस्ति चिन्ह ।
8.	वर्ष का सर्वोत्तम अभिनेता पुरस्कार "रिकशाकारन्" (तमिल)	अभिनेता श्री एम० जी० रामचन्द्रन, एम० जी० आर० गार्डन्स, मद्रास 16.	एक छोटी मूर्ति (भरत पुरस्कार)
9.	वर्ष का सर्वोत्तम अभिनेत्री पुरस्कार "रेशमा और शेरा" (हिंदी)	अभिनेत्री कुमारी वहीदा रहमान, पूनम नीपियन सी रोड, बम्बई-26.	एक छोटी मूर्ति (उर्वशी पुरस्कार)

1	2	3	4
10.	वर्ष का सर्वोत्तम बाल-अभिनेता पुरस्कार "अजब तुझे सरकार" (मराठी)	बाल अभिनेता मास्टर सचिन, द्वारा श्री शरद पिलगांवकर, मनोरम फिल्मज, ए/9, जुहू अपार्टमेंट, लिडो सिनेमा के पीछे, बंबई-54.	एक प्रशस्ति चिन्ह ।
11.	वर्ष का सर्वोत्तम पार्श्व गायक पुरस्कार "नियंत्रण" (बंगला)	पार्श्व गायक श्री हेमन्त कुमार मुखर्जी 30, रामकुमार पार्क, रीजेंट पार्क, कलकत्ता-40 ।	एक प्रशस्ति चिन्ह
12.	वर्ष का सर्वोत्तम पार्श्व गायिका पुरस्कार "सवाले सभाली" (तमिल)	पार्श्व गायिका श्रीमती पी० सुशीला, 9, अशोक स्ट्रीट, मद्रास-18,	एक प्रशस्ति चिन्ह
13.	वर्ष का सर्वोत्तम संगीत निर्देशक पुरस्कार (धुनों की मौलिकता के लिये पुरस्कार) "रेश्मा और शेरा" (हिंदी)	संगीत निर्देशक श्री जयदेव, लिली कोर्ट, चर्च गट, बम्बई-1.	5,000 रुपये (पांच हजार रुपये) का नकद पुरस्कार तथा एक प्रशस्ति चिन्ह ।
14.	राष्ट्रीय एकता पर सर्वोत्तम फिल्मी गीत के रचियता "नानक दुखिया सब संसार" (पंजाबी)	गीत रचियता श्री प्रेम धवन, थियासोफिकल सोसायटी, जुहू, बम्बई-54.	एक प्रशस्ति चिन्ह ।
15.	वर्ष का सर्वोत्तम बाल फिल्म पुरस्कार "विग्ज आफ फायर" (अंग्रेजी)	निर्माता मैसर्स सिनेग्राफिक आर्टस, द्वारा फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24 पैडर रोड, बम्बई-25.	7,500 रुपये (सात हजार पांच सौ रुपये) का नकद पुरस्कार तथा एक पदक ।
		निर्देशक श्री एम० एम० शर्मा फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24, पैडर रोड, बम्बई-26.	2,500 रुपये (दो हजार पांच सौ रुपये) का नकद पुरस्कार तथा एक प्रशस्ति चिन्ह ।

1	2	3	4
		2. फिल्म सूचना साधन के रूप में	
16.	सर्वोत्तम सूचना फिल्म (डाक्युमैंट्री) "भूटान" (अंग्रेजी)	निर्माता फिल्म प्रभाग (श्री प्रमोद पती), भारत सरकार, 24 पैडर रोड, बम्बई-26.	5,000 रुपये (पांच हजार रुपये) का नकद पुरस्कार तथा एक पदक।
		निर्देशक श्री पी० एन० कौल, फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24 पैडर रोड, बम्बई-26.	2,000 रुपये (दो हजार रुपये) का नकद पुरस्कार तथा एक प्रशस्ति चिन्ह।
17.	सर्वोत्तम शैक्षणिक फिल्म "रिक्लैक्शन" (अंग्रेजी)	निर्माता फिल्म प्रभाग, (श्री मोहन वाधवाणी) भारत सरकार, 24 पैडर रोड, बम्बई-26.	5,000 रुपये (पांच हजार रुपये) का नकद पुरस्कार तथा एक पदक।
		निर्देशक श्री बीरेन दास, फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24 पैडर रोड, बम्बई-26.	2,000 रुपये (दो हजार रुपये) का नकद पुरस्कार तथा एक प्रशस्ति चिन्ह।
18.	सर्वोत्तम सामाजिक फिल्म "ए विलेज स्माइल्ज" (अंग्रेजी)	निर्माता तथा निर्देशक श्री एस० सुखदेव, द्वारा फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24 पैडर रोड, बम्बई-26.	5,000 रुपये (पांच हजार रुपये) का नकद पुरस्कार तथा एक पदक।
19.	सर्वोत्तम प्रेरक फिल्म (व्यावसायिक) "क्रियेशन इन मैटल" (अंग्रेजी)	निर्माता तथा निर्देशक श्री होमी डी० सठना, 67, भूलाभाई देसाई रोड, बम्बई-26.	एक पदक
20.	सर्वोत्तम प्रेरक फिल्म (अव्यावसायिक) "दिस माई लैंड" (अंग्रेजी)	निर्माता फिल्म प्रभाग (श्री एन० एस० थापा) भारत सरकार, 24 पैडर रोड, बम्बई-26.	एक पदक
		संकलन कर्ता श्री एम० एन० घाटे, तथा श्री एन० डी० केलूसकर, फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24 पैडर रोड, बम्बई-26.	एक प्रशस्ति चिन्ह

1	2	3	4
		प्रादेशिक पुरस्कार	
	फीचर फिल्में		
21.	"फिर भी" (हिंदी)	निर्माता तथा निर्देशक श्री शिवेंद्र सिन्हा, 24, हनुमान शरण, बोमन जी पेटिट रोड, बम्बई-36	5,000 रुपये (पांच हजार रुपये) का नकद पुरस्कार तथा एक पदक ।
22.	"शान्तता कोर्ट चालू आह" (मराठी)	निर्माता सर्वश्री सत्यदेव दूबे तथा गोविंद निहालनी, द्वारा सत्यदेव गोविंद प्रोडक्शंस वालचन्द टैरसिज, ग्राउंड फ्लोर, तारदेव रोड, बम्बई-34 निर्देशक श्री सत्यदेव दूबे, द्वारा सत्यदेव गोविंद प्रोडक्शंस, बालचन्द टैसेसिज, ग्राउंड फ्लोर, तारदेव रोड, बम्बई-34	5,000 रुपये (पांच हजार रुपये) का नकद पुरस्कार । एक पदक
23.	"निमन्त्रण" (बंगला)	निर्माता श्री भरत शमशेर जंग बहादुर राणा, 32, गणेश चन्द्र एवेन्यू, कलकत्ता-13 निर्देशक श्री तरुण मजूमदार, 25/48 बी० एम० एम० सेन लेन, कलकत्ता-40	5,000 रुपये (पांच हजार रुपये) का नकद पुरस्कार । एक पदक
24.	"अरण्य" (असमिया)	निर्माता दि यूनाइटिड प्रोडक्शंस (मंगालदई), पो० ओ० मंगालदई, जिला दरांग, असम निर्देशक श्री समरेन्द्र नारायण देव, पो० ओ० मंगालदई, जिला दरांग, आसाम	5,000 रुपये (पांच हजार रुपये) का नकद पुरस्कार । एक पदक
25.	"वैगुलिप्पेण" (तमिल)	निर्माता श्री एस० एम० अब्दुल गफ्फार, मैसर्स जैनेट कम्बाइंज, 18/1, जी० एन० चैट्टी रोड, टी नगर, मद्रास-17 निर्देशक श्री एस० एस० देवदास, 14/ए, विजय राघवाचारी रोड, टी नगर, मद्रास-17,	5,000 रुपये (पांच हजार रुपये) का नकद पुरस्कार । एक पदक ।

1	2	3	4
26.	"माट्टला माणिक्यम" (तेलुगु)	निर्माता श्री चेलम, श्री रमण चित्र, 1, नागार्जुन नगर, मद्रास-24 निर्देशक श्री बी० वी० प्रसाद, द्वारा श्री रमन चित्र, नागार्जुन नगर, मद्रास-24	5,000 रुपये (पांच हजार रु०) का नकद पुरस्कार । एक पदक
27.	"वंश वृक्ष" (कन्नड़)	निर्माता श्री जी० वी० अय्यर, नं० 2 पटेल स्ट्रीट, मद्रास-24 निर्देशक (1) श्री बी० वी० कारंत, बी०-11, साउथ एक्सटेंशन, नई दिल्ली-49 (2) श्री गिरीश करनाद, 38, सारस्वत पुरा, धारवाड़ ।	5,000 रुपये (पांच हजार रुपये) का नकद पुरस्कार । एक पदक
28.	'करकाणाकडल' (मलयालम)	निर्माता श्री हैरी पोतेन, नं० 1, गंगा नगर, मद्रास-24 निर्देशक श्री के० एस० सेतुमाधवन, 4, कन्नैया नायडू स्ट्रीट, मद्रास-17	5,000 रुपये (पांच हजार रुपये) का नकद पुरस्कार । एक पदक

दिनांक 26 जून 1972

सं० 1/16/72-एफ०एफ० सी०—एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संकल्प संख्या 7/51/69-एफ० आई० (एन० ए०), तारीख 7 मई, 1971 में प्रकाशित फिल्मों के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार संबंधी नियम 3 के उप-नियम (4) और नियम 15 के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1972 का 'दादा साहेब फालके पुरस्कार' श्री पृथ्वीराज कपूर को मरणोपरांत, सिनेमा के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिये, प्रदान करने का निर्णय किया है । पुरस्कार में 11,000 रुपये (ग्यारह हजार रुपये) नकद, 1 प्रशस्ति चिह्न और एक शाल शामिल है ।

कबीर कुमार खान, उप सचिव

PRESIDENTS' SECRETARIAT

New Delhi, the 3rd July 1972

No. 88 Pres./72.—The President is pleased to approve the award of the VIR CHAKRA for acts of gallantry in the recent operations against Pakistan to :—

1. Captain RUSTOM KHUSHRO SHAPOORJEE GHANDHI (X)
Indian Navy.

Captain Rustom Khushro Shapoorjee Ghandhi was the flag Captain of the Western Fleet during the operations against Pakistan in December 1971. Despite continuous threat of enemy air and submarine attacks, Captain Ghandhi, through his inspiring leadership, kept the Units of the Western Fleet that were under his command threatening the approaches to Karachi continuously. It was as a result of this action and by the attacks carried out by these units off Karachi that the entry of ships into the port of Karachi was denied to the enemy. He thus contributed in no small measure to the success of the operations.

Throughout, Captain Rustom Khushro Shapoorjee Ghandhi displayed gallantry, leadership and devotion to duty of a high order.

2. Captain MANOHAR PRALHAD AWATI (X)
Indian Navy.

Captain Manohar Pralhad Awati was the Commanding Officer of the Indian Naval Unit of the Eastern Fleet during the operations against Pakistan in December, 1971. Throughout the period of operations, he was called upon to operate within enemy waters where there was constant danger to his ship from enemy mines and submarines. Undeterred, he carried out continuous probes into the enemy defended harbours in Bangladesh and inflicted heavy damage on the enemy. During the blocade, he attacked and captured three enemy ships carrying contraband goods. He also gained a submarine contact and pressed home an attack with great vigour which possibly resulted in destruction of/damage to the submarine.

Throughout, Captain Manohar Pralhad Awati displayed gallantry, leadership and devotion to duty of a high order.

3. Captain PADAVUPURACKAL CHANDY ANDREWS (X)
Indian Navy.

During the operations against Pakistan in December, 1971, Captain Padavupurackal Chandy Andrews was the Commanding Officer of an Indian Naval Unit of the Western Fleet. During the western Fleet's sorties towards the enemy coast, Captain Andrews was incharge of the detached units. Despite the air and submarine threat, he led his group on to the missions. In one of the missions, his group was being continuously reported by enemy patrol aircraft and despite the threat of air attack, he led his forces and completed the mission.

Throughout, Captain Padavupurackal Chandy Andrews displayed gallantry, leadership and devotion to duty of a high order.

4. Acting Captain JAGDISH CHANDER PURI (X) VSM
Indian Navy.

During the operations against Pakistan in December, 1971, Captain Jagdish Chander Puri was the Commanding Officer of the Indian Naval Unit of the Eastern Fleet. Throughout the period of operations, he was called upon to operate within enemy waters, where there was constant danger to his ship from enemy mines and submarines. Undeterred, he carried out continuous probes into the enemy defended harbours in Bangladesh. During one of these sorties, an enemy submarine was sighted close to his ship. Captain Jagdish Chander Puri immediately swung into action and without any regard to his safety, pursued the attack which possibly resulted in destruction of/damages to the submarine.

Throughout, Captain Jagdish Chander Puri displayed gallantry, leadership and devotion to duty of a high order.

5. Commander SABHLOK SURESH KUMAR (X)
Indian Navy.

Commander Sabhlok Suresh Kumar was the Commanding Officer of a Naval Unit which took part in the Second Naval attack on Karachi. On the night of the 8th/9th December, 1971, he was assigned the task of destroying an enemy patrol craft in the approaches to Karachi. Despite the proximity of enemy shore gun batteries and the danger from enemy aircraft, Commander Sabhlok Suresh Kumar led his ship into attack and sank the enemy patrol craft. On completion of his mission, he rejoined his Task Force Commander and attacked enemy ships and installations off Karachi.

Throughout, Commander Sabhlok Suresh Kumar displayed gallantry, leadership and devotion to duty of a high order.

6. Commander SUBIR PAUL (X)
Indian Navy.

During the operations against Pakistan in December, 1971, Commander Subir Paul was the Commanding Officer of the Indian Naval Unit of the Eastern Fleet. Throughout the period of operations, he was called upon to operate within enemy waters where there was constant danger to his ship from enemy mines and submarines. Undeterred, he carried out continuous probes into enemy defended harbours in Bangladesh and inflicted heavy damage on the enemy. He successfully completed other tasks assigned to him.

Throughout, Commander Subir Paul displayed gallantry, leadership and devotion to duty of a high order.

7. Commander LAXMINARAYAN RAMDAS (X) VSM,
Indian Navy.

During the operations against Pakistan in December, 1971 Commander Laxminarayan Ramdas was the Commanding Officer of the Indian Naval Unit of the Eastern Fleet. Throughout the period of operations, he was called upon to operate within enemy waters, where there was constant danger to his ship from enemy mines and submarines. Undeterred, he carried out continuous probes into the enemy defended harbours in Bangladesh and inflicted heavy damage on the enemy. During one of the sorties, an enemy submarine was sighted close to his ship. He attacked the submarine repeatedly which possibly resulted in destruction of/damage to the submarine.

Throughout, Commander Laxminarayan Ramdas, displayed gallantry, leadership and devotion to duty of a high order.

8. Commander RAJINDER SINGH GREWAL (X), NM
Indian Navy.

During the operations against Pakistan in December, 1971, Commander Rajinder Singh Grewal was the Commander-in-Charge of all flying operations from Indian Naval Ship VIKRANT. Despite the fact that the condition of wind off Bangladesh during these operations was such that it made the taking off of aircraft from Indian Naval Ship VIKRANT very difficult, Commander Rajinder Singh Grewal continued to fly off fighter/bombers and anti-submarine aircraft from this Ship. It was largely due to him that two aircraft which had been shot by enemy anti-aircraft fire were recovered despite the fact that the wind conditions for recovery were extremely difficult.

Throughout, Commander Rajinder Singh Grewal displayed gallantry, leadership and professional skill of a high order.

9. Commander KAILASH NATH ZADU (X)
Indian Navy.

Commander Kailash Nath Zadu was the Commanding Officer of an Indian Naval Ship which attacked Karachi on the night of the 4th/5th December, 1971. In the face of imminent air attack and in the presence of overwhelming enemy shore gun batteries, he repeatedly led his ship on to the enemy forces. His brave and inspiring leadership enabled the Naval Units to deliver a severe blow to the Pakistan Naval Forces. It was as a result of his action aided by other Naval Units that the major part of enemy's surface fleet was destroyed in one action.

In this action, Commander Kailash Nath Zadu displayed gallantry, leadership and devotion to duty of a high order.

10. Commander VIJAI SINGH SHEKHAWAT (X)
Indian Navy.

During the operations against Pakistan in December, 1971, Commander Vijai Singh Shekhawat was the Commanding Officer of an Indian Naval Submarine. Despite the fact that the patrol duties of his ship were such that he was under constant surveillance by enemy air and surface forces, he continued to carry out his hazardous patrol and thereby posed a constant under-water threat to the enemy. His probes into the near

approaches of Karachi obtained vital information for the Indian Navy.

Throughout, Commander Vijay Singh Shekhawat displayed gallantry, leadership and professional skill of a high order.

11. Lieutenant Commander RAVINDER DAS DHIR (X)
Indian Navy.

During the operations against Pakistan in December, 1971, Lieutenant Commander Ravinder Das Dhir was the pilot of the Indian Naval aircraft which carried out strikes on enemy held ports in Bangladesh. On the night of the 5th December, 1971, during a bombing raid on a port, his aircraft came under heavy anti-aircraft gun fire by the ships in harbour. Regardless of his safety, he successfully completed the attack and caused heavy damage to the harbour installations and ships. One of the ships was sunk during the attack. In the same mission, whilst returning, he sighted two camouflaged gun boats in a port, and despite heavy anti-aircraft gun fire, he led two successful attacks which resulted in the sinking of one boat and immobilising the other.

Throughout, Lieutenant Commander Ravinder Das Dhir displayed gallantry, leadership and professional skill of a high order.

12. Lieutenant Commander SANKAR PRASAD GHOSH (X),
Indian Navy.

During the operations against Pakistan in December, 1971, Lieutenant Commander Sankar Prasad Ghosh was the pilot of the Indian Naval aircraft which carried out strikes on enemy held ports in Bangladesh. Despite the fact that enemy harbour guns and ships directed very heavy anti-aircraft fire against his air-craft, he was responsible for sinking three enemy ships. It was as a result of his vigilant aerial patrol and his aircraft's harassing of the enemy ships that no ship could leave Bangladesh ports during the operations. On the 6th December, 1971, he helped Indian Naval ships in capturing enemy ships.

Throughout, Lieutenant Commander Sankar Prasad Ghosh displayed gallantry, determination and professional skill of a high order.

13. Lieutenant Commander SOURIRAJULU RAMSAGAR (X),
Indian Navy.

During the operations against Pakistan in December, 1971, Lieutenant Commander Sourirajulu Ramsagar was the pilot of the Indian Naval aircraft which carried out strikes on enemy held ports in Bangladesh. On the 5th December, 1971, he sighted an enemy gun boat in the PUSUR river and despite heavy anti-aircraft fire, destroyed it. On the 11th December, 1971, during his strike mission, Lieutenant Commander Ramsagar destroyed an enemy gun boat and two barges in the TATULIA river. Despite heavy anti-aircraft fire he continued his attack and destroyed a tug and two barges.

Throughout, Lieutenant Commander Sourirajulu Ramsagar displayed gallantry, determination and professional skill of a high order.

14. Lieutenant Commander VIJAI JERATH (X)
Indian Navy.

During the operations against Pakistan in December, 1971, Lieutenant Commander Vijai Jerath was the Commanding Officer of an Indian Naval Unit. On the night of the 8th/9th December, 1971, he led his ship into the approaches to Karachi and despite enemy's shore gun batteries and the possibility of an air attack, he was able to sink at least two enemy ships. The Task force of which he was a member destroyed four ships and in addition attacked military targets at Karachi.

In this action Lieutenant Commander Vijai Jerath displayed gallantry, leadership and devotion to duty of a high order.

15. Lieutenant Commander BAHADUR NARIMAN KAVINA (X),
Indian Navy.

Lieutenant Commander Bahadur Nariman Kavina was the Commanding Officer of an Indian Naval Ship which attacked Karachi on the night of the 4th/5th December, 1971. Despite enemy's shore gun batteries and the possibility of an air attack, he repeatedly led his ship on to the enemy forces. His inspiring leadership enabled the Naval Units to deliver a fatal blow to the Pakistan Naval Forces. It was as a result of his action, aided by other Naval Units, that the major part of enemy's surface fleet was destroyed in one action.

In this action, Lieutenant Commander Bahadur Nariman Kavina displayed gallantry, leadership and devotion to duty of a high order.

16. Lieutenant Commander INDERJIT SHARMA (X) AVSM,
Indian Navy.

Lieutenant Commander Inderjit Sharma was the Commanding Officer of an Indian Naval Ship which attacked Karachi on the night of the 4th/5th December, 1971. Despite enemy's shore gun batteries and possibility of air attack, he repeatedly led his ship on to the enemy forces. His inspiring leadership enabled the Naval Units to deliver a fatal blow to the Pakistan Naval Forces. It was as a result of his action, aided by other Naval Units, that the major part of enemy's surface fleet was destroyed in one action.

In this action, Lieutenant Commander Inderjit Sharma displayed gallantry, leadership and devotion to duty of a high order.

17. Lieutenant Commander OM PARKASH MEHTA (X), NM
Indian Navy.

Lieutenant Commander Om Parkash Mehta was the Commanding Officer of an Indian Naval Ship which attacked Karachi on the night of the 4th/5th December, 1971. Despite enemy shore gun batteries and the possibility of air attack, he repeatedly led his ship on to the enemy forces. His inspiring leadership enabled the Naval Units to deliver a fatal blow to the Pakistan Naval Forces. It was as a result of his action, aided by other Naval Units, that the major part of enemy's surface fleet was destroyed in one action.

In this action, Lieutenant Commander Om Parkash Mehta displayed gallantry, leadership and devotion to duty of a high order.

18. Lieutenant Commander GEORGE MARTIS (X), NM
Indian Navy.

During the operations against Pakistan in December, 1971, Lieutenant Commander George Martis was the leader of a Naval Force, which operated off the coast of enemy held territories in Bangladesh. He was called upon to operate his unit inside enemy held territory to provide useful information back to Indian Naval Forces and to inflict heavy damage to enemy gunboats and ships in harbours. He led his team into various enemy held ports and managed to supply useful information back to the Navy. He was responsible for causing serious damage to enemy gunboats and ships.

Throughout, Lieutenant Commander George Martis displayed gallantry, leadership and devotion to duty of a high order.

19. Lieutenant Commander JAYANTA KUMAR ROY CHOUDHURY (X),
Indian Navy.

During the operations against Pakistan in December, 1971, Lieutenant Commander Jayanta Kumar Roy Choudhury was the Commanding Officer of an Indian Naval Unit. He was given the task of attacking enemy held ports in Bangladesh. Despite the enemy shore defences and the danger from enemy aircraft, he carried out his mission with extreme devotion to duty and by his action disrupted all sea traffic in the port of Mongla. His actions finally resulted in the whole of the Pusur river being denied to the enemy. On the 10th December, 1971, Lieutenant Commander Jayanta Kumar Roy Choudhury was a member of the force, which attacked Khulna and despite the fact that his ship came under very heavy enemy air and shore gun attacks, he continued to carry out his attack which finally resulted in the capture of Khulna Port. During the action, Lieutenant Commander Jayanta Kumar Roy Choudhury was injured by enemy gun fire but he continued to lead his men into close fighting against the enemy.

Throughout, Lieutenant Commander Jayanta Kumar Roy Chowdhury displayed gallantry, leadership and devotion to duty of a high order.

20. Lieutenant Commander ASHOK ROY (X), NM
Indian Navy.

(*Missing*)

During the operations against Pakistan in December, 1971, Lieutenant Commander Ashok Roy was in command of a detachment of two anti-submarine and reconnaissance aircraft of the Indian Navy. On the 10th December, 1971, an enemy surface force was reported at sea attempting to attack a harbour. It was essential to locate this force before it could attack. One of the two reconnaissance aircraft was sent under the command of Lieutenant Commander Ashok Roy to search the enemy force. During this search, Lieutenant Commander Roy's aircraft was located by an enemy jet. Although he had a chance to escape, he decided to complete his mission. Soon the enemy aircraft appeared on the scene and in the battle that ensued his aircraft was shot down.

In this action, Lieutenant Commander Ashok Roy displayed gallantry, determination and devotion to duty of a high order.

21. Lieutenant RAMINDER SINGH SODHI (X)
Indian Navy.

During the operations against Pakistan in December, 1971, Lieutenant Raminder Singh Sodhi was the pilot of the Indian Naval Aircraft which carried out repeated strikes on enemy held ports in Bangladesh. He carried out 8 strikes on the heavily defended ports of Chittagong, Khulna and Mongla. He was the Section Leader during an attack on Khulna harbour, on the 6th December, 1971. Although his aircraft was hit by enemy fire, he continued his attack and led his section until one enemy ship and port oil installations were set on fire. On the 11th December, 1971, Lieutenant Raminder Singh Sodhi was a member of the force which attacked Chittagong harbour. Despite heavy enemy anti-aircraft fire, he destroyed two oil tanks and shore installations.

Throughout, Lieutenant Raminder Singh Sodhi displayed gallantry, leadership and devotion to duty of a high order.

22. Lieutenant BIPINCHANDRA BHASKAR BHAGWAT (X),
Indian Navy.

During the operations against Pakistan in December, 1971, Lieutenant Bipinchandra Bhaskar Bhagwat was the pilot of the Indian Naval Aircraft which carried out repeated strikes on enemy held ports in Bangladesh. Despite the fact that enemy harbour guns and ships directed very heavy anti-aircraft fire against his aircraft, he was responsible for the sinking of three enemy ships. It was as a result of his vigilant aerial patrol and his aircraft's harassing of the enemy ships that no ship could leave Bangladesh ports during the operations. On the 6th December, 1971, he helped Indian Naval Ships in capturing enemy ships.

Throughout, Lieutenant Bipinchandra Bhaskar Bhagwat displayed gallantry, determination and professional skill of a high order.

23. Lieutenant ARUN PRAKASH (X),
Indian Navy.

During the operations against Pakistan in December, 1971, Lieutenant Arun Prakash was on deputation to the Indian Air Force. On the 4th December, 1971, he led an Indian Air Force strike mission to an enemy airfield. In this mission, he destroyed enemy's heavy transport on ground and returned to base. On the 5th December, 1971, he led a very deep penetration day operational strike into enemy territory and attacked enemy air-fields heavily defended by air and ground forces. He destroyed enemy's Heavy Transport Aircraft, attacked troops and supplies and returned to base.

Throughout, Lieutenant Arun Prakash displayed gallantry, leadership and devotion to duty of a high order.

24. Lieutenant VIJAI PRAKASH KAPIL (X),
Indian Navy.

During the operations against Pakistan in December, 1971, Lieutenant Vijai Prakash Kapil was a member of the Naval Unit of the Eastern Fleet. During the 8th/10th December, 1971, he was on a small Naval Unit, which was part of a Force which attacked the harbours of Mangla and Khulna. During the attack, his ship came under very heavy air attack and had to be temporarily abandoned. Despite the danger to his life, he continued to help his men out of the ship and carried the wounded to land. After having landed his men ashore, he attacked the enemy ground forces and silenced them.

Throughout, Lieutenant Vijai Prakash Kapil displayed gallantry, leadership and devotion to duty of a high order.

25. Lieutenant KESHAR SINGH PANWAR (X),
Indian Navy.

During the operations against Pakistan in December, 1971, Lieutenant Keshar Singh Panwar was the pilot of the Indian Naval Aircraft which carried out repeated strikes on enemy held ports in Bangladesh. Despite the fact that enemy harbour guns and ships directed very heavy anti-aircraft fire against his aircraft, he was responsible for the sinking of three enemy ships. It was as a result of his vigilant aerial patrol and his aircraft's harassing of the enemy ships that no ship could leave Bangladesh ports during the operations. On the 6th December, 1971, he helped Indian Naval Ships in capturing enemy ships.

Throughout, Lieutenant Keshar Singh Panwar displayed gallantry, determination and professional skill of a high order.

26. Lieutenant SUVESH KUMAR MITTER (X),
Indian Navy.

During the operations against Pakistan in December, 1971, Lieutenant Suvesh Kumar Mitter was the Commanding Officer of an Indian Naval Unit. He was given the task of attacking enemy held ports in Bangladesh. Despite the enemy shore defences and the danger from enemy aircraft, he carried out his mission with extreme devotion to duty and by his action disrupted all sea traffic in the port of Mongla. His actions finally resulted in the whole of the Pusur river being denied to the enemy. On the 10th December, 1971, he was a member of a force, which attacked Khulna and despite the fact that his ship came under very heavy enemy air and shore gun attacks, he continued to carry out his attack, which finally resulted in the capture of Khulna Port. Although he was injured by the enemy gun fire, he continued to lead his men into close fighting against the enemy.

Throughout, Lieutenant Suvesh Kumar Mitter displayed gallantry, leadership and devotion to duty of a high order.

27. Lieutenant VIRENDRA KUMAR DATTA (X),
Indian Navy.

During the operations against Pakistan in December, 1971, Lieutenant Virendra Kumar Datta was the pilot of the Indian Naval Aircraft which carried out repeated strikes on enemy held ports in Bangladesh. He carried out 8 strike missions over heavily defended ports of Chittagong, Mongla and Khulna. On the 12th December, 1971, whilst carrying out bombing run at Chittagong airfield, his aircraft was struck on the front wind screen by enemy anti-aircraft fire. Undeterred, he continued to carry out his attack and deliver his weapons accurately. On completion of the attack on Chittagong airfield, he attacked the gun positions and destroyed them.

Throughout, Lieutenant Virendra Kumar Datta displayed gallantry, professional skill and devotion to duty of a high order.

28. Lieutenant PREM KUMAR (X),
Indian Navy.

During the operations against Pakistan in December, 1971, Lieutenant Prem Kumar was the pilot of the Indian Naval Aircraft which carried out repeated strikes on enemy held ports in Bangladesh. He carried out 8 strike missions over heavily defended ports of Chittagong, Mongla and Khulna. On the 12th December, 1971, whilst carrying out bombing run on ships in harbour, his aircraft was struck on the front wind screen by enemy anti-aircraft fire. Undeterred, he continued to carry out his attack and deliver his weapons accurately. On completion of the attack on ships in harbour, he attacked the gun position and destroyed it.

Throughout, Lieutenant Prem Kumar displayed gallantry, professional skill and devotion to duty of a high order.

29. Sub Lieutenant ASHOK KUMAR (X), Indian Navy.

During the operations against Pakistan in December, 1971, Sub Lieutenant Ashok Kumar was a member of an Indian Naval Unit of the Eastern Fleet. On the 10th December, 1971, during the attack by Indian Naval Ships on the port of Khulna, Sub Lieutenant Ashok Kumar came under very heavy gun fire from enemy shore batteries. Though he was injured by enemy action and was surrounded by the enemy, he led his men into battle and, in complete disregard to his personal safety, overpowered an enemy unit. In the hand-to-hand fighting that resulted in the fall of Khulna, he despite his injuries, led his men to a very successful attack.

In this action, Sub Lieutenant Ashok Kumar displayed gallantry, determination and leadership of a high order.

P. N. KRISHNA MANI, Jt. Secy. to the President

New Delhi, the 7th July 1972

No. 89-Pres./72.—The President is pleased to approve the award of the ATI VISHISHT SEVA MEDAL to the undermentioned personnel for distinguished service of an exceptional order :—

Brig. GAJENDRA SINGH RAWAT (IC 2281), Gorkha Rifles.

Brig UJJAL KUMAR GUPTA (IC 1518), Para.

Brig. JIWAN CHANDRA JOSHI (IC 4186), Para.

Brig. NASIM ARTHUR SALICK, (IC 3929), Vr.C, Kumaon.

Brig. MADHUKAR BHOLANATH WADKE (IC 4993), Maratha Light Infantry.

Brig. JASWANT SINGH BHULLAR (IC 2537), VSM, Punjab Regiment.

Brig. KASHINATH GANESH PITRE (IC 1165), Para.

Brig. JAGDEV SINGH (IC 4207), Engineers.

Brig. PADMAKAR VISHVANATH GOLE (TA 40165).

Brig. GURDAYAL SINGH SIDHU (IC 845), Signals.

Brig. HIREMAGALUR RAMASWAMIENGAR GOPAL (IC 4201), Engineers.

Col. MAHADEV ANANT GOKHALE (MR 415), Army Medical Corps.

Col. SURESH KUMAR KOCHHAR (MR 346), Army Medical Corps.

Col. SATYA BRATA KUNDU (MR 699), Army Medical Corps.

Col. (Miss) DOREEN BEATRICE HART (NR 17427), Military Nursing Service.

Captain PRASANTA KUMAR SINHA, Indian Navy.

Captain DALJIT SINGH PAINTAL, Indian Navy.

Acting Captain JAMES JOSEPH ROLAND MARTIN, VSM, Indian Navy.

No. 90-Pres./72.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the West Bengal Police :—

Name and rank of the officer

Shri Kartick Chandra Mondal,
Constable No. 1472,
District Armed Police, Nadia,
West Bengal.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 24th September, 1971, 15 undertrial extremist prisoners were brought to the court lock-up at Krishnagar, Nadia. By about 12.40 hours some extremists had assembled in front of the court lock-up as onlookers. When the Assistant Sub-Inspector in charge of the undertrials opened the door of the lock-up for escorting one of the prisoners to the lavatory, some of the extremists standing outside opened fire on him from the court compound as a result of which he was injured and the undertrial prisoners tried to escape. Shri Kartick Chandra Mondal who was then on escort duty near the office of the Superintendent of Police heard the alarm and rushed out. Shri Kartick Chandra Mondal chased the fleeing extremists and closed upon a group of three extremists one of whom was armed with a revolver. This extremist opened fire on Shri Mondal from behind a truck. In disregard of his personal safety, Shri Mondal rushed towards the extremist and fired two quick shots at him. The first shot hit the extremist on the hand and knocked down his revolver. The second shot hit the extremist in the abdomen as a result of which he fell down and later succumbed to his injuries.

In the encounter with the armed extremists Shri Kartick Chandra Mondal displayed exemplary courage and devotion to duty at great personal risk.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 24th September, 1971.

No. 91-Pres./72.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Madhya Pradesh Police :—

Name and rank of the officer

Shri Nathu Singh,
Circle Inspector of Police,
Bijaipur, District Morena,
Madhya Pradesh.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 28th July, 1971, information was received by Shri Nathu Singh, Circle Inspector of Police at Bijaipur that part of a gang of dacoits led by Hari Singh was present near village Sathaiya-ka-pura in Police Station Bijaipur. Because of the rainy season and unprecedented floods in river Kunwari the Police Station Bijaipur had been cut off from all sides. Shri Nathu Singh passed on the information about the presence of the dacoits to the Assistant Commandant of the Special Armed Force. A raid was arranged with the help of the force available at Bijaipur. The Police force was divided into three parties one of which was led by Shri Nathu Singh. While two parties advanced towards the dacoits from the North-Western and North-Eastern sides, the party led by Shri Nathu Singh advanced from the Southern side. The dacoits who were taking shelter in Bajra fields started firing on the Police party led by Shri Nathu Singh, the Police party returned the fire. In the meantime, it started raining heavily and the dacoits got a chance to escape. Just then, Shri Nathu Singh happened to see Hari Singh, leader of the dacoits, holding a .303 rifle in his hands. While the firing continued from both sides, Shri Nathu Singh fully knowing the risk involved quietly crawled up to a place very near Dacoit Hari Singh and from there fired at him killing him on the spot. Dacoit Hari Singh carried a reward of Rs. 2,000 on his head.

In this encounter Shri Nathu Singh exhibited conspicuous gallantry in liquidating a dangerous dacoit.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 28th July, 1971.

S. NILAKANTAN, Dy. Secy.

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-1, the 21st June 1972

No. 1/1/72-RCC.—Shri Harsh Deo Malaviya, Member of Rajya Sabha has been nominated to serve as Member of the Parliamentary Committee to review the rate of dividend payable by the Railway Undertaking to General Revenues as well as other ancillary matters in connection with the Railway Finance vis-a-vis the General Finance in the vacancy caused by the resignation of Shri Mahitosh Purakayastha from the membership of the Rajya Sabha.

G. D. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF EDUCATION & SOCIAL WELFARE

(Department of Education)

New Delhi, the 21st June 1972

RESOLUTION

No. F. 1-8/71.H.—In supersession of Resolution No. F. 1-12/65.H-I dated the 4th November, 1965 of the Ministry of Education as amended vide Resolutions No. F. 1-2/67.H-I dated the 28th May, 1968, No. F. 1-1/69.H-I dated 27th January, 1969 of the same Ministry and No. F. 1-8/69.H-I dated 11th September, 1969 of the Ministry of Education and Youth Services, it is hereby resolved that with effect from 1st January, 1972 the composition and functions of the Hindi Shiksha Samiti shall be as follows : -

I. *Composition* :

Chairman

1. Minister of Education, Social Welfare and Culture.

First Vice-Chairman

2. Minister of State (Department of Education).

Second Vice-Chairman

3. Deputy Minister (in-charge of Hindi) in the Department of Education.

Members

4. Representatives of Parliament :

(a) four Members nominated by the Speaker of the Lok Sabha :

(1) Shri Arvind Netam.

(2) Shri Jagannath Mishra.

(3) Shri S. T. Pandit.

(4) Shri Atal Bihari Vajpayee.

(b) Members nominated by the Chairman :

(1) Shri Nawal Kishore.

(2) Shri Man Singh Verma.

5. Secretary, Deptt. of Education.

6. Joint Secretary/Joint Educational Adviser in charge of Hindi in the Department of Education.

7. One representative each of the non-Hindi speaking States.

8. One representative each from the following Voluntary Hindi Organisations :

(1) Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha, Madras.

(2) Nagari Pracharini Sabha, Varanasi.

(3) Gujarat Prantiya Rashtrabhasha Prachar Samiti, Ahmedabad.

(4) Assam Rashtrabhasha Prachar Samiti.

(5) Akhil Bharatiya Hindi Sanstha Sangh, New Delhi.

9. *Three prominent Hindi scholars* :

(1) Dr. Namwar Singh, Head of Hindi Deptt., Jodhpur University.

(2) Dr. Prem Swarup Gupta, Professor of Hindi, Vallabha Vidya Nagar, Gujarat University.

(3) Dr. M. Malik Mohamed, Head of the Department of Hindi, Calicut University.

10. *Two prominent Linguists* :

(1) Dr. J. D. Singh, Professor, Kurukshetra University.

(2) Dr. R. N. Srivastava, Reader, Deptt. of Linguistics, Delhi University.

Member-Secretary

11. Deputy Secretary/Deputy Educational Adviser incharge of Hindi in the Department of Education.

Special Invitees :

1. Hindi Adviser to the Government of India.

2. Chairman, Commission for Scientific and Technical Terminology.

3. Director, Central Hindi Directorate.

4. Director, Central Institute of Indian Languages, Mysore.

5. Director Kendriya Hindi Sansthan, Agra.

The First Vice-Chairman shall preside over the meetings of the Samiti in the absence of the Chairman. The Second Vice-Chairman shall preside in the absence of both the Chairman and the First Vice-Chairman.

II. *Tenure* :

The tensure of the members of the Samiti shall ordinarily be three years calculated from the 1st January, 1972 provided that :

(i) a member nominated under clause 4 shall cease to be a member of the Samiti as soon as he ceases to be a Member of Parliament.

(ii) the *ex-officio* members of the Samiti shall continue as members so long as they hold the office by virtue of which they are members of the Samiti;

(iii) other nominated members shall hold office during the pleasure of the Government of India;

(iv) if a vacancy arises on the Samiti due to resignation, death, etc. of a member, the member appointed in that vacancy shall hold office for the residue of the tenure of three years.

III. *Quorum* :

The quorum for the meetings of the Samiti shall be 1/3 of total membership of the Samiti.

IV. *Functions* :

The Samiti shall advise the Government of India on matters of policy pertaining to the propagation and development of Hindi in the country.

V. *Karyakarini Upasamiti* :

In order to enable the Samiti to discharge its various functions effectively it may appoint a Karyakarini Upasamiti. The Upasamiti shall ordinarily consist of not more than 15 members to be nominated by the Chairman. The First Vice-Chairman of the Samiti and in his absence the Second Vice-Chairman of the Samiti, shall function as the Chairman of the Upasamiti. The Chairman of the Upasamiti shall have the power to coopt persons either from amongst the members of the Samiti or from outside who possess specialist knowledge and experience of the problems of propagation and development of Hindi in the country.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the non-Hindi speaking States, Prime Minister's Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat and all Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. K. CHATURVEDI, Dy. Secy.

(Department of Social Welfare)

New Delhi-1, the 23rd June 1972

RESOLUTION

No. 13/2/71-R.U.(Vol.II).—In partial modification of the Resolution No. 13/2/71-RU, dated the 31st August, 1971, the Government of India hereby nominate the Managing Director, Orissa State Tribal Development Co-operative Society Ltd., as a member of the Co-ordination Committee of the Apex Tribal Co-operative Organisations vice *ex-officio* President of the Orissa State Forest Produce Marketing Co-operative Society Ltd.

The Government of India hereby also nominate Shri Jai Narain Roat, Secretary, Rajasthan Van Shramik Sahakari Sangh Ltd., Topkhane Ka Rasta, Chandpol Darwaja, Jaipur to be a Member of the Coordination Committee of the Apex Tribal Cooperative Organisations for a period of two years from the date of this resolution.

ORDER

ORDERED that the above Resolution be published in the Gazette of India.

P. P. I. VAIDYANATHAN, Addl. Secy.

New Delhi-1, the 27th June 1972

RESOLUTION

No. F. 1-46/69-*SW*.3.—In continuation of the Department of Social Welfare Resolution No. F. 1-46/69-SW.3 dated the 28th March 1972 extending the term of the office of the Board, namely, the Chairman, members of the General Body and members of the Executive Committee of the Central Social Welfare Board (Company), till and including the 30th June 1972, the Government of India have been pleased to decide that subject to the provisions of Article 7 of the Articles of Association of the Company, the term of the office of the Board, namely, the Chairman of the Board, members of the General Body and the Executive Committee of the Board be extended for a further period of three months commencing from 1st July 1972, till and including the 30th September 1972.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to :—

1. All the members of the Central Social Welfare Board.
2. All the State Governments/Union Territories.
3. All the Ministries/Departments of Government of India.
4. President Secretariat.
5. Cabinet Secretariat.
6. Planning Commission.
7. Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat/P.M.'s Sectt.
8. Press Information Bureau.
9. A.G.C.R., New Delhi.
10. Department of Company Affairs.
11. Registrar of Companies, New Delhi.
12. Regional Director, Company Law Board, Kanpur.
13. Secretary, Central Social Welfare Board, New Delhi.
14. All Chairmen, State Social Welfare Advisory Boards.

ORDERED also that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

J. P. SAXENA, Under Secy.

New Delhi-1, the 23rd June 1972

RESOLUTION

F. No. 13-11/72-*SW*5.—In continuation of this Department's Resolution No. F. 15/12/67-SW5 dated 22nd December, 1969 as amended *vide* corrigendum of even number dated the 7th April, 1971, it has been decided to reconstitute the Central Advisory Board on Correctional Services for a period of two years with effect from 1st April, 1972.

The composition of the reconstituted Board will be as follows :—

Chairman

1. Shri K. S. Ramaswamy, Deputy Minister for Education and Social Welfare, Government of India, New Delhi.

Members

2. Shri P. P. I. Vaidyanathan, Additional Secretary, Department of Social Welfare, Government of India, New Delhi.
3. Deputy Secretary, (dealing with Jail Affairs) Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi.
4. Director, Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi.
5. Shri A. K. Srinivasamurthy, Deputy Legislative Counsel, Ministry of Law, New Delhi.
6. Shri J. J. Panakal, Head of the Department of Criminology and Correctional Administration, Tata Institute of Social Sciences, Bombay.
7. Shri Sushil Chandra, Director of J. K. Institute of Sociology and Human Relations, University of Lucknow, Lucknow, Uttar Pradesh.
8. Prof. (Dr.) Sita Basu, Senior Lecturer in Correctional Services and Social Work, Delhi School of Social Work, 3, University Road, Delhi-7.
9. Inspector General of Prisons, West Bengal, Calcutta.
10. Inspector General of Prisons, Tamil Nadu, Madras.
11. Inspector General of Prisons, Uttar Pradesh, Lucknow.
12. Inspector General of Prisons, Punjab, Chandigarh.
13. Inspector General of Prisons, Kerala, Trivandrum.
14. Director of Social Welfare, Maharashtra, Poona.
15. Director of Social Welfare, Gujarat, Ahmedabad.
16. Director of Social Welfare, Madhya Pradesh, Bhopal.

Member-Secretary

17. Director, Central Bureau of Correctional Services, Department of Social Welfare, Government of India, New Delhi.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be sent to all the Members of the Board, all Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, All Chief Secretaries of State Governments/Union Territories.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. SATHYAM, Dy. Secy.

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 26th June 1972

In the matter of the Charitable Endowments Act, 1890

and

In the matter of the Merchant Seamen's Amenities Fund.

No. 14-*MT*(1)/65—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 of the Charitable Endowments Act, 1890 (6 of 1890), the Central Government hereby divests the Treasurer of Charitable Endowments for India of all the assets of the Merchant Seamen's Amenities Fund specified in the Schedule annexed hereto, which were vested in him through the notification of the Government of India in the late Ministry of Transport and Communications, Department of Transport (Transport Wing) No. 65-MT(14)/57, dated the 13th September. 1972.

SCHEDULE

1. 3% Conversion Loan, 1946	Rs. 1,49,100/-
2. 4½% Loan, 1986	Rs. 4,50,000/-
3. Fixed deposit with Tamil Nadu Industrial Investment Corporation @ 7¼% per annum for 6 years	Rs. 2,38,500/-
4. Fixed Deposit investment with the Tamil Nadu Industrial Investment Corporation Limited, Madras, for 6 years at the interest rate of 7¼% per annum	Rs. 24,700
5. 4% Ten Year Treasury Saving Deposit Certificates (Rs. 10,000/ & Rs. 15,300/-)	Rs. 25,300
	Rs. 8,87,600

J. K. BHATTACHARYA, Dy. Secy.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

National Awards for Films

New Delhi-1, the 23rd June 1972

No. 1/16/72-FFC—It is hereby notified that in pursuance of Rule 23 of the Rules for the National Awards for Films, published in Ministry of Information and Broadcasting Resolution No. 7/51/69-FI(NA) dated the 7th May, 1971, the Central Government have on the basis of the recommendations submitted by the Central Committee and the Regional Committees of National Awards for Films, 1971, decided to give awards to the following films/producers/directors/artistes/technicians, namely :—

S.No.	Title of film & Language	Name of the Award Winner	Award
1	2	3	4
		I. ALL INDIA AWARDS	
	FEATURE FILMS		
1.	*National best feature film award*		
	"SIMABADDHA" (Bengali)	Producer Shri Bharat Shumshere Jung Bahadur Rana, 32, Ganesh Chandra Avenue, Calcutta-13.	President's Gold Medal and Cash Prize of Rs. 40,000 (Rupees forty thousand) only.
		Director Shri Satyajit Ray, 1/1, Bishop Lefroy Road, Calcutta-20.	Cash Prize of Rs. 10,000/- (Rupees ten thousand) only and a plaque.
2.	*Special award for the second best feature film*		
	"ANUBHAV" (Hindi)	Producer & Director Shri Basu Bhattacharya, 5, Kay-Pee Mansion, 29th Road, Bandra, Bombay-50.	Cash Prize of Rs. 15,000/- (Rupees fifteen thousand) only & a Medal.
3.	*Special award for the best feature film on national integration*		
	"DO BOOND PANI" (Hindi)	Producer & Director Shri Khwaja Ahmad Abbas, Naya Sansar, B-32, North Bombay Housing Society, Church Road, Juhu, Bombay-54.	Cash Prize of Rs. 30,000/- (Rupees thirty thousand) only and a Medal.
4.	*Award for excellence in direction*		
	"VAMSHA VRIKSHA" (Kannada)	Directors (i) Shri B.V. Karanth, B-11, South Extension, New Delhi-49.	Cash Prize of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand) only and a plaque.
		(ii) Shri Girish Karnad, 38, Saraswatha Pura, Dharwar.	
5.	*Award for excellence in cinematography Black & White*		
	"ANUBHAV" (Hindi)	Cameraman Shri Nando Bhattacharya, C/o Shri Basu Bhattacharya, 5, Kay-Pee Mansion, 29th Road, Bandra, Bombay-50.	Cash Prize of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand) only and a plaque.
6.	*Award for excellence in cinematography Colour*		
	'RESHMA AUR SHERA" (Hindi)	Cameraman Shri Ramchandra, Dil Bahadur Guest House, Dadar Main Road, Bombay-14.	Cash Prize of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand) only and a plaque.
7.	*Best screen-play of the year award*		
	"EKHONEE" (Bengali)	Screen-play Writer Shri Tapan Sinha, Block 'O'. 675, New Alipore, Calcutta.	Cash Prize of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand) only and a plaque.
8.	*Best actor of the year award*		
	"RICKSHAWKARAN" (Tamil)	Actor Shri M.G. Ramachandran, M.G.R. Gardens, Madras-16.	A figurine (Bharat Award).
9.	*Best actress of the year award*		
	"RESHMA AUR SHERA" (Hindi)	Actress Miss Waheeda Rehman, 'Poonam' Neapean Sea Road, Bombay-26.	A figurine (Urvashi Award).

1	2	3	4
10. *Best child actor of the year award*			
"AJAB TUZE SARKAR" (Marathi)	Child actor	Master Sachin, C/o Shri Sharad Pilgaonkar, Manoram Films, A/9, Juhu Apartment, Behind 'LIDO' Cinema, Bombay-54.	A plaque.
11. *Best male play-back singer of the year award*			
"NIMANTRAN" (Bengali)	Male singer	Shri Hemant Kumar Mukherjee, 30, Ram Kumar Park, Regent Park, Calcutta-40.	A plaque.
12. *Best female play-back singer of the year award*			
"SAVALAY SAMALI" (Tamil)	Female singer	Smt. P. Susheela, 9, Asoka Street, Madras-18.	A plaque.
13. *Best music director of the year* *An award to recognise the originality of score*			
"RESHMA AUR SHERA" (Hindi)	Music Director	Shri Jaidev, 'Lily Court', Churchgate, Bombay-1.	Cash Prize of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand) only and a plaque.
14. *Lyric-writer of the best film song on National Integration*			
"NANAK DUKHIA SUB SANSAR" (Punjabi)	Lyric writer	Shri Prem Dhawan, 'Theosophical Society', Juhu, Bombay-54.	A plaque.
15. *Best children's film of the year award*			
"WINGS OF FIRE" (English)	Producer	M/s. Cine Graphic Arts, C/o Films Division, Govt. of India, 24-Peddar Road, Bombay-26.	Cash Prize of Rs. 7,500/ (Rupees seven thousand five hundred) only and a medal.
	Director	Shri M.M. Sharma, Films Division, Govt. of India, 24-Peddar Road, Bombay-26.	Cash Prize of Rs. 2,500/- (Rupees two thousand five hundred) only and a plaque.
	II. FILM AS COMMUNICATION		
16. *Best information film (documentary)*			
"BHUTAN" (English)	Producer	The Films Division, (Shri Pramod Pati) Govt. of India, 24-Peddar Road, Bombay-26.	Cash Prize of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand) only and a medal.
	Director	Shri P.N. Kaul, Films Division, Govt. of India, 24-Peddar Road, Bombay-26.	Cash Prize of Rs. 2,000/- (Rupees two thousand) only and a plaque.
17. *Best Educational/Instructional film*			
"RECOLLECTIONS" (English)	Producer	The Films Division, (Shri Mohan Wadhwani), Govt. of India, 24-Peddar Road, Bombay-26.	Cash Prize of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand) only and a medal.
	Director.	Shri Biren Dass, Films Division, Govt. of India, 24-Peddar Road, Bombay-26.	Cash Prize of Rs. 2,000/- (Rupees two thousand) only and a plaque.
18. *Best Social Documentation film*			
"A VILLAGE SMILES" (English)	Producer & Director	Shri S. Sukhdev, C/o Films Division, Govt. of India, 24-Peddar Road, Bombay-26.	Cash Prize of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand) only and a medal.

1	2	3	4
19.	*Best Promotional film (Commercial)*		
	"CREATIONS IN METAL" (English)	Producer & Director Shri Homi D. Sethna, 67, Bhulabhai Desai Road, Bombay-26.	A medal.
20.	*Best Promotional Film (Non-commercial)*		
	"THIS MY LAND" (English)	Producer The Films Division, (Shri N.S. Thapa), Govt. of India, 24-Peddar Road, Bombay-26	A Medal.
		Compilation by : S/Shri N.D. Keluskar and M.N. Ghate, Films Division, Govt. of India, 24-Peddar Road, Bombay-26.	A plaque.
		REGIONAL AWARDS	
FEATURE FILMS			
21.	"PHIR BHI" (Hindi)	Producer & Director Shri Shivendra Sinha, 24, Hanuman Sharan, Bamanji Petit Road Bombay-36.	Cash Prize of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand) only and a Medal.
22.	"SHANTATA COURT CHALU AHE" (Marathi)	Producer S/Shri Satyadev Dubey and Govind Nihalani, C/o Satyadev-Govind Productions, Walchand Terraces, Ground Floor, Tardeo Road, Bombay-34.	Cash Prize of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand) only.
		Director Shri Satyadev Dubey, C/o Satyadev Govind Productions, Walchand Terraces, Ground Floor, Tardeo Road, Bombay-34.	A Medal.
23.	"NIMANTRAN" (Bengali)	Producer Shri Bharat Shumshere J.B. Rana, 32, Ganesh Chandra Avenue, Calcutta-13.	Cash Prize of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand) only.
		Director Shri Tarun Mazumdar, 25/4B-M.M. Sen Lane, Calcutta-40.	A Medal.
24.	"ARANYA" (Assamese)	Producer The United Productions (Mangaldai) P., P.O. Mangaldai, Dist. Darrang, Assam.	Cash Prize of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand) only.
		Director Shri Samarendra Narayan Dev, P.O. Mangaldai, Distt. Darrang, Assam.	A Medal.
25.	"VEGULIPPENN" (Tamil)	Producer Shri S.M. Abdul Gaffar, M/s Jannet Combines, 18/1 G.N. Chetty Road T. Nagar, Madras-17.	Cash Prize of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand) only.
		Director Shri S.S. Devadoss, 14/A, Vijayaraghavachari Road, T. Nagar, Madras-17.	A Medal.
26.	"MATTILO MANIKYAM" (Telugu)	Producer Shri Chelam, Shri Ramana Chitra, 1, Nagarjuna Nagar, Madras-24.	Cash Prize of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand) only.
		Director Shri B.V. Prasad, C/o Sri Ramana Chitra, 1, Nagarjuna Nagar, Madras-24.	A Medal.

1	2	3	4
27.	"VAMSHA VRIKSHA" (Kannada)	Producer Shri G.V. Iyer, No. 2, Patel Street, Madras-24. Directors	Cash Prize of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand) only.
		i) Shri B.V. Karanth, B-11, South Extension, New Delhi-49. ii) Shri Girish Karnad, 38, Saraswatha Pura, Dharwar.	A Medal
28.	"KARAKANAKADAL" (Malayalam)	Producer Shri Harry Pothen, No.1, Ganganagar, Madras-24.	Cash Prize of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand) only.
		Director Shri K.S. Sethumadhavan, 4, Kannaih Nadiu Street, Madras-17.	A Medal.

New Delhi-1, the 26th June 1972

No. 1/16/72-*FFC*.—It is hereby notified that in pursuance of sub-rule (IV) of Rule 3 and Rule 15 of the Rules for National Awards for Films, published in Ministry of Information and Broadcasting resolution No. 7/51/69-FI(NA) dated 7th May, 1971, the Central Government have decided to confer the Dadasaheb Phalke Award for 1972 on Shri Prithviraj Kapoor, posthumously, for his outstanding contribution to the cause of Indian cinema. The award carries a cash prize of Rs. 11,000/- (Rupees eleven thousand) only, a plaque and a shawl.

K. K. KHAN, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972